[2022] 12 एस. सी. आर. 873

सत्यजीत कुमार और ओआरएस।

वी.

झारखंड और ओआरएस का राज्य।

(2022 की सिविल अपील संख्या 4038)

अगस्त 02,2022

[एम. आर. शाह और बी. वी. नागरत्ना, जे. जे.]

भारत का संविधान-पाँचवीं अनुसूची का पैरा 5 (1); अनुच्छेद

14 , 13 (2) , 15 , 16 (2) , (3) , 35 (क-i)-चाहे वे शक्तियों के प्रयोग में हों।

संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैराग्राफ 5 (1) के तहत राज्यपाल 100% के लिए प्रावधान कर सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों/जिलों में आरक्षण-आयोजितः संविधान की पाँचवीं अनुसूची के पैरा 5 (1) में निहित गैर-अस्थाई खंड

संविधान को संसद द्वारा बनाए गए कानून को निलंबित करने और/या संशोधित करने की राज्यपाल की शक्ति के संबंध में पढ़ा जाएगा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 और 245-इसे संविधान के भाग III में निहित प्रावधानों के बावजूद राज्यपाल को पूर्ण शक्ति और/या निरंकुश शक्ति प्रदान करने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है-वर्तमान मामले में, संबंधित अनुसूचित जिलों/क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला विवादित आदेश/अधिसूचना राज्यपाल को पांचवें के पैरा 5 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों के दायरे और दायरे से बाहर है। संविधान की अनुसूची-100% आरक्षण Art.16 (2) का उल्लंघन है जो अन्य उम्मीदवारों/गैर-अनुसूचित क्षेत्रों/जिलों के नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित करता है।

भारत का संविधान-उच्च न्यायालय द्वारा विवादित अधिसूचना को असंवैधानिक और पांचवीं अनुसूची के पैराग्राफ 5 (1) और अनुच्छेद 14,13 (2) के अधिकार से बाहर रखने में कोई त्रुटि नहीं की गई।

15 और 16 (2)-यह अनुच्छेद 16 (3) और 35 (ए-आई) का भी उल्लंघन है।

हालांकि, तथ्यों पर, अनुसूचित में पहले से की गई नियुक्तियों को अलग करके नई/नई भर्ती प्रक्रिया के बजाय

जिले/क्षेत्र, राज्य अंतिम चयनित उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त पहले से प्रकाशित कट ऑफ के आधार पर योग्यता सूची को संशोधित करेगा।

प्रत्येक टी. जी. टी. विषय में संबंधित श्रेणियों के विरुद्ध पूरे राज्य के संबंधित उम्मीदवारों के संबंध में गैर-से संबंधित अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों (जिलों) को उम्मीदवारों की व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर समायोजित किया जाना चाहिए।

-

[2022] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

झारखंड सरकार (माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती और उनकी सेवा और स्थिति) नियम, 2015-सेवा कानून-भारत का संविधान-अनुच्छेद 142।

भारत का संविधान-पांचवीं अनुसूची का पैरा 5 (1); अनुच्छेद 309-झारखंड सरकार (शिक्षकों और गैर-शिक्षकों की भर्ती)

संविधान की पांचवीं अनुसूची में राज्यपाल के पास शक्ति है अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए प्रासंगिक भर्ती नियमों को संशोधित करना।

आयोजित किया गयाः भर्ती नियम, 2015 को संशोधित करते हुए भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 (1) के तहत राज्यपाल द्वारा शक्तियों का प्रयोग, जो अनुच्छेद के तहत बनाए गए हैं, जिन्हें अधीनस्थ विधान कहा जा सकता है और जिन्हें संसद और/या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया अधिनियम या कानून नहीं कहा जा सकता है, भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 (1) के तहत राज्यपाल की शक्ति के दायरे और दायरे से बाहर है।

भारत का संविधान-पाँचवीं अनुसूची का पैरा 5 (1)-राज्यपाल को प्रदत्त शक्तियाँ--

चर्चा की। भारत का संविधान-पाँचवीं अनुसूची का पैरा 5, एक अपवाद-आयोजितः संसद द्वारा बनाया गया कानून सर्वोच्च है और प्रबल होगा।

और प्रत्येक राज्य/राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून द्वारा बाध्य है

हालाँकि, भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची का अनुच्छेद 5 एक अपवाद है-उपरोक्त प्रावधानों के बावजूद, संसद द्वारा बनाए गए कानून को सर्वोच्चता देते हुए,

अधिसूचना में निर्दिष्ट किए गए संशोधन-इस प्रकार, "इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद" अभिव्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून की सर्वोच्चता के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों से संबंधित है।

सेवा कानून-अवैध और अनियमित नियुक्ति नियुक्तियाँ-- के बीच अंतर-आयोजितः अवैध और अनियमित नियुक्ति के बीच अंतर है और पहली नियुक्ति को नियमित नहीं किया जा सकता है।

सत्यजीत कुमार और ओआरएस। वी. झारखंड राज्य और

ओआरएस।

आंशिक रूप से अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 अनुच्छेद 246 (1) के अनुसार, खंड (2) और (3) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, संसद को सातवीं अनुसूची (संघ सूची) में सूची I में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की अनन्य शक्ति होगी। लेख के अनुसार

246 (2) , खंड (3) में किसी बात के होते हुए भी, संसद और खंड (1) के अधीन रहते हुए, किसी भी राज्य के विधानमंडल को सातवीं अनुसूची (समवर्ती सूची) में सूची III में प्रगणित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति होगी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 के अनुसार, यदि कानून का कोई प्रावधान है

किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून संसद द्वारा बनाए गए कानून के किसी भी प्रावधान के प्रतिकूल है, जिसके लिए संसद सक्षम है -

समवर्ती सूची में प्रगणित मामलों में से किसी एक के संबंध में किसी विद्यमान विधि का अधिनियम या कोई उपबंध बनाना, फिर, संसद द्वारा बनाई गई विधि के खंड (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, चाहे वह विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि से पहले या बाद में पारित की गई हो।

ऐसे राज्य की, या, यथास्थिति, विद्यमान विधि प्रबल होगी और राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि,

तिरस्कार की सीमा, शून्य हो। इस प्रकार, उपरोक्त संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, संसद द्वारा बनाया गया कानून सर्वोच्च है और प्रबल होगा और प्रत्येक राज्य/राज्य विधानमंडल कानून से बाध्य है। हालाँकि, भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची द्वारा बनाया गया अनुच्छेद 5 एक अपवाद है। उपर्युक्त प्रावधानों के होते हुए भी, संसद द्वारा बनाई गई विधि को सर्वोच्चता देते हुए, राज्यपाल यह निर्देश दे सकता है कि संसद या राज्य के विधानमंडल का कोई विशेष अधिनियम राज्य के किसी अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग पर लागू नहीं होगा या किसी अनुसूचित क्षेत्र या राज्य के किसी भाग पर ऐसे अपवादों और संशोधनों के अधीन रहते हुए लागू होगा जो वह अधिसूचना में निर्दिष्ट करे। इस प्रकार, अभिव्यक्ति "इसमें कुछ भी होने के बावजूद" संविधान "संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून की सर्वोच्चता के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों से संबंधित है। [पैरा 17.2] [922-डी-एच; 923-ए-डी]

1.2 संविधान की पाँचवीं अनुसूची के पैरा 5 (1) में निहित गैर-अस्थाई खंड को निम्नलिखित के संबंध में पढ़ा जाएगाः

संविधान [2022] 12 एस. सी. आर. के अनुच्छेद 244 और 245 के बावजूद संसद द्वारा बनाए गए कानून को निलंबित करने और/या संशोधित करने की राज्यपाल की शक्ति।

भारत से। इसे संविधान के भाग III में निहित प्रावधानों के बावजूद राज्यपाल को पूर्ण शक्ति और/या निरंकुश शक्ति प्रदान करने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। द. जो आरक्षण सुरक्षात्मक तरीके से अनुमत है, उसे 100 प्रतिशत बनाने से वह भेदभावपूर्ण और अस्वीकार्य हो जाएगा। सार्वजनिक रोजगार के अवसर से सत्ताधारियों को अन्यायपूर्ण तरीके से वंचित नहीं किया जा सकता है, और यह कुछ लोगों का विशेषाधिकार नहीं है। नागरिकों को समान अधिकार हैं, और एक वर्ग के लिए अवसर पैदा करके दूसरों के पूर्ण बहिष्कार पर भारत के संविधान के संस्थापकों द्वारा विचार नहीं किया गया है। [पैरा 18.5 और 19] [926-डी-एफ, जी-एच]

इंद्र साहनी और ओआरएस। वी. भारत संघ और अन्य। 1992 पूरक (3) एस. सी. सी. 217 [1992] 2 पूरक। एससीआर 454 - पीछा किया।

1.3 चेब्रोलु लीला प्रसाद राव के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून को लागू करते हुए, मामले के तथ्यों पर, विवादित आदेश/अधिसूचना No.5938 और आदेश No.5939 दिनांक 14.07.2016 प्रदान करते हुए 100%

केवल संबंधित अनुसूचित जिलों/क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षण को (1) दायरे से परे कहा जा सकता है और

भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची के पैरा 5 (1) के तहत राज्यपाल को प्रदत्त शक्तियों का दायरा; (2) 100%

संबंधित के स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षण प्रदान किया गया

केवल अनुसूचित जिले/क्षेत्र भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (2) का उल्लंघन करेंगे और दूसरे के अधिकारों को प्रभावित करेंगे। भारत के संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत गैर-अनुसूचित क्षेत्रों/जिलों के उम्मीदवार/नागरिक; (3) संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 (1) के तहत राज्यपाल द्वारा शक्तियों का प्रयोग।

भर्ती नियम, 2015 को संशोधित करने वाला भारत का संविधान, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत तैयार किया गया है, जिसे अधीनस्थ विधान कहा जा सकता है और जिसे संसद और/या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया अधिनियम या कानून नहीं कहा जा सकता है, संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 (1) के तहत राज्यपाल की शक्ति के दायरे और दायरे से बाहर है।

भारत से। [पैरा 20] [928-डी-एच; 929-ए]

चेब्रोलु लीला प्रसाद राव और ओआरएस बनाम ए. पी. राज्य और

ओआरएस। (2021) 11 इसके बाद एस. सी. सी. 401 आया।

- सत्यजीत कुमार और ओआरएस। वी. झारखंड राज्य और

ओआरएस।

1.4 इस न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात निर्णय और कानून पर विचार करने की आवश्यकता है। स्पष्ट कानून द्वारा निर्धारित किया गया है

चेब्रोलु लीला प्रसाद राव के मामले में इस अदालत के बाध्यकारी संविधान पीठ के फैसले का पालन नहीं करने का कोई कारण नहीं है। चेब्रोलु लीला प्रसाद राव के मामले में इस अदालत की संविधान पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण रखने का कोई कारण नहीं है। [पैरा 21] [929-सी-एफ] 1.5 यह सच हो सकता है कि जहां तक बुनियादी शिक्षा (प्राथमिक वर्ग के स्तर पर) का संबंध है, यह प्राथमिक स्तर पर (बुनियादी शिक्षा प्रदान करते हुए) छात्रों को उनकी अपनी आदिवासी भाषा में पढ़ाए जाने में मदद कर सकता है। लेकिन वही सिद्धांत तब लागू नहीं हो सकता है जब सवाल उच्च स्तर पर शिक्षा प्रदान करने का हो। पाँचवीं कक्षा से ऊपर। इसलिए, यदि अन्य क्षेत्रों (गैर-अनुसूचित क्षेत्रों/जिलों) से संबंधित उम्मीदवारों को शिक्षा प्रदान करने का अवसर दिया जाता है (जो अनुसूचित क्षेत्रों/जिलों से संबंधित उम्मीदवारों की तुलना में अधिक मेधावी हो सकते हैं) तो यह अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित छात्रों के लिए अधिक फायदेमंद होगा और उनकी शिक्षा की गुणवत्ता में निश्चित रूप से सुधार होगा। उसी/कुछ जिलों के शिक्षकों के पक्ष में 100% आरक्षण देकर और स्कूल जाने वाले बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा सकता है।

अधिक मेधावी शिक्षकों की नियुक्ति। इस स्तर पर, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यहां तक कि विवादित आदेश/अधिसूचना दिनांक 14.07.2016 और 100% प्रदान करने वाला विज्ञापन भी।

संबंधित अनुसूचित क्षेत्रों/जिलों के स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षण को भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 का भी उल्लंघन कहा जा सकता है। आक्षेपित आदेश/अधिसूचना 100% [2022] 12 एस. सी. आर.

1.6 भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (3) के तहत भी केवल संसद ही कोई भी कानून बनाने के लिए अधिकृत है किसी वर्ग या रोजगार के वर्गों या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के तहत किसी कार्यालय में नियुक्ति या किसी राज्य के भीतर किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के संबंध में, कोई भी

ऐसी नियुक्ति या नियुक्ति से पहले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर निवास की आवश्यकता। भारत के संविधान के अनुच्छेद 35 के अनुसार, संविधान में कुछ भी निहित होने के बावजूद, संसद के पास होगा और किसी राज्य के विधानमंडल के पास किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति नहीं होगी, जो अनुच्छेद 16 के खंड (3) के तहत संसद द्वारा बनाई गई कानून के लिए प्रदान की जा सकती है। इसलिए, असंतुष्ट

संबंधित अनुसूचित क्षेत्र/जिलों के स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षण (निवासी के आधार पर आरक्षण) करने की अधिसूचना/आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 35 आर/डब्ल्यू अनुच्छेद 16 (3) के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। [पैरा 24] [931-एफ-एच; 932-ए-बी]

1.7 चेब्रोलु लीला प्रसाद राव के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करना और उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए

और ऊपर बताए गए कारणों से, उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने और अभिनिर्धारित करने में कोई त्रुटि नहीं की है कि

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना No.5938 और आदेश No.5939 दिनांक 14.7.2016 संबंधित अनुसूचित जिलों/क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों के लिए 100% आरक्षण को असंवैधानिक और अधिकार से बाहर बताते हुए अनुच्छेद 14,13 (2), 15 और 16 (2)

सत्यजीत कुमार और ओआरएस। वी. झारखंड राज्य और

ओआरएस।

भारत का संविधान। यह उचित रूप से देखा और अभिनिर्धारित किया गया है कि उक्त अधिसूचना और आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (3) और 35 (ए-आई) का भी उल्लंघन करेंगे। उच्च न्यायालय ने भी उचित रूप से कहा है और कहा है कि उपरोक्त अधिसूचना और आदेश भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैराग्राफ 5 (1) के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यह न्यायालय पूरी तरह से सहमत है उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण। एक बार जब अधिसूचना/आदेश दिनांक 14.07.2016 को अनिवार्य रूप से अधिकार से बाहर माना जाता है।

परिणाम, इस तरह के अनुसार की गई नियुक्तियाँ

असंवैधानिक अधिसूचना/आदेश को दरकिनार करना होगा और ऐसी नियुक्तियों को नियमित नहीं किया जा सकता है। अवैध और अनियमित नियुक्ति के बीच अंतर है और पहली नियुक्ति को नियमित नहीं किया जा सकता है। [पैरा 25] [932-बी-डी]

1.8 वर्तमान मामले में, आक्षेपित अधिसूचना/आदेश वर्ष 2016 का है। टी. जी. टी. भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी विज्ञापन दिनांक 28.12.2016 को 04.02.2017 पर संशोधित किया गया था और इसे वर्ष 2017 में ही भर्ती प्रक्रिया के लंबित रहने के दौरान चुनौती दी गई थी। यह भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि 21.2.2019 दिनांकित आदेश द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने निर्देश दिया कि नोटिस को दैनिक में प्रकाशित किया जाए

रिट याचिका की स्थापना के बारे में व्यापक प्रसार वाले समाचार पत्र ताकि इच्छुक व्यक्ति रिट में हस्तक्षेप कर सके

याचिका। इस तरह के नोटिस के अनुसार, कई वार्ताकार आवेदन/हस्तक्षेप करने वाले आवेदन दायर किए जाने लगे, जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई। इसके बाद, दिनांक 18.09.2019 के आदेश द्वारा, के प्रश्न को ध्यान में रखते हुए

मामलों में शामिल संवैधानिक महत्व, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने मामले को एक बड़ी पीठ द्वारा तय करने के लिए भेजा। उसी आदेश दिनांक 18.09.2019 द्वारा, उच्च न्यायालय ने विवादित अधिसूचना No.5938 और आदेश No.5939 दिनांक 14.7.2016 के आगे के कार्यान्वयन और संचालन पर रोक लगा दी, जो पहले से की गई नियुक्तियों, यदि कोई हो, के अधीन है। इस प्रकार, उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि मूल रिट याचिकाकर्ता

वे हमेशा सतर्क और मेहनती रहते हैं और पहले उपलब्ध अवसर पर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं। अनुसूचित जिलों/क्षेत्रों में नियुक्ति के लिए उनके मामलों पर विचार करने का उनका मूल्यवान अधिकार छीन लिया गया है। वे उच्च न्यायालय के समक्ष सफल रहे हैं। इसलिए, तथ्यों में और [2022] 12 एस. सी. आर.

मामले की परिस्थिति में, अपीलार्थियों की ओर से विवादित निर्णय देने के लिए जिस निर्णय पर भरोसा किया गया था और उच्च न्यायालय द्वारा संभावित रूप से पारित आदेश मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को लागू करने के लिए इसमें अपीलकर्ताओं की ओर से प्रार्थना संभावित रूप से, अस्वीकार किए जाने के योग्य है और तदनुसार अस्वीकार कर दिया जाता है। [पैरा 26.3] [933-एफ-एच; 934-ए-सी]

कैलाश चंद शर्मा बनाम। राजस्थान राज्य और अन्य। (2002) 6 एस. सी. सी. 562 [2002 1 पूरक। एस. सी. आर. 317-लागू नहीं होता है।

1.9 हालाँकि, एक ही समय में और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और विशेष रूप से, पहले से की गई नियुक्तियों को रद्द करने और अलग करने से अधिक जटिलता की संभावना है जो व्यापक सार्वजनिक हित में नहीं होगी। इसलिए, यह राहत को ढालने के लिए एक उपयुक्त मामला है। इस तथ्य के अलावा कि इसमें अपीलकर्ता-अनुसूचित जिलों/क्षेत्रों से संबंधित चयनित उम्मीदवार पहले से ही काम कर रहे हैं

लगभग तीन वर्षों में, यदि पहले से की गई नियुक्तियों को सुरक्षा नहीं दी जाती है तो झारखंड राज्य में हजारों स्कूल शिक्षकों के बिना होगा और अंतिम पीड़ित आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे होंगे। विवादित फैसले को देखते हुए

और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जिलों/क्षेत्रों में की गई सभी नियुक्तियों को अवैध ठहराया है और आगे नई भर्ती के लिए निर्देश दिया है, राज्य को नई भर्ती प्रक्रिया से गुजरना होगा जिसमें काफी समय लग सकता है और इस बीच, रिक्तियां होंगी और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षकों के बिना स्कूलों की संख्या होगी। इसलिए, न्यायालय को मूल रिट याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ पहले से नियुक्त व्यक्तियों/शिक्षकों (जिनकी नियुक्तियों को अवैध माना जाता है) और जनहित के अधिकारों के बीच संतुलन बनाना होगा। इसलिए, राहत देते समय, एक नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के बजाय, संशोधित योग्यता के आधार पर और प्रत्येक टी. जी. टी. विषय में अंतिम चयनित उम्मीदवार द्वारा प्राप्त पहले से ही प्रकाशित कट ऑफ के आधार पर नई चयन सूची तैयार करने के लिए निर्देश जारी किए जाते हैं।

श्रेणियाँ। , यह न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा और प्रतिस्पर्धी अधिकारों के बीच संतुलन बनाएगा ताकि पहले से ही सत्यजीत कुमार और ओआरएस को नियुक्त किया जा सके।

वी. झारखंड राज्य और

ओआरएस।

हो सकता है कि उन्हें अपना रोजगार/नौकरी न गंवानी पड़े और साथ ही गैर-अनुसूचित जिलों/क्षेत्रों से संबंधित उम्मीदवारों को भी अनुसूचित जिलों/क्षेत्रों में योग्यता के आधार पर शिक्षक के रूप में नियुक्ति का अवसर मिल सके। नई/नई भर्ती प्रक्रिया के लिए जाने का कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि

विवादित निर्णय और आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित। उपरोक्त चर्चा और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित सामान्य विवादित निर्णय और आदेश में विवादित अधिसूचना/आदेश को दिनांकित घोषित किया गया है।

14.07.2016 के रूप में असंवैधानिक और अनुच्छेद 14,16 (2),

व्यापक लोक हित में भारत के संविधान का अनुच्छेद 142 अनुसूचित क्षेत्रों/जिलों का। [पैरा 27 और 28] [934-डी-एच; 935 ए-एच; 936-ए] [2022] 12 एस।

सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य। वी. उमादेवी (3)

और ओआरएस। (2006) 4 एससीसी 1: [2006] 3 एससीआर 953-निर्भर पर।

ए. वी. एस. नरसिम्हा राव और ओआरएस बनाम आंध्र प्रदेश राज्य

& एन. आर. (1969) 1 एससीसी 839: [1970] 1 एस. सी. आर. 115; डॉ. प्रदीप जैन और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य। (1984) 3

एस. सी. सी. 654 [1984] 3 एस. सी. आर. 942; राजेश कुमार गुप्ता और ओआरएस। वी. उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। (2005) 5 एससीसी 172 [2005]

एससीसी 225: [1973] पूरक। एस. सी. आर. 1; डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। मुख्यमंत्री 2021 एस. सी. सी ऑनलाइन एस. सी. 362 पी. राजेंद्रन बनाम। मद्रास राज्य [1968] 2 एससीआर 786; एन.

वसुंधरा वी. मैसूर राज्य (1971) 2 एस. सी. सी. 22; जयश्री बनाम। केरल राज्य (1976) 3 एससीसी 730: [1977] 1 एस. सी. आर. 194; हनुमान दत्त शुक्ला बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य

प्रदेश (2018) 16 एस. सी. सी. 447; के माधव रेड्डी बनाम। राज्य

ए. पी. (2014) 6 एस. सी. सी. 537: [2014] 7 एस. सी. आर. 328; आर. के. सभरवाल बनाम। पंजाब राज्य (1995) 2 एससीसी 745: [1995]

2 एस. सी. आर. 35; बाबूराम वी. सी. सी. जैकब (1999) 3 एस. सी. सी. 362; भारत संघ और ए. एन. आर. वी. तुलसीराम पटेल (1985) 3 एस. सी. सी. 398 [1985] 2 पूरक। एससीआर 131; जेके स्पिनिंग और वीविंग मिल्स कं. लिमिटेड v. उत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 1170 [1961] 3 एस. सी. आर. 185; अनुपल सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2020) 2 एससीसी 173: [2019] 12 एससीआर 1071; राज्य

यूपी और ओआरएस। वी. आनंद कुमार यादव और अन्य। (2018)

13 एससीसी 560: [2017] 10 एस. सी. आर. 428; रेणु बनाम। जिला और सत्र न्यायाधीश (2014) 15 एस. सी. सी. 731; मध्य प्रदेश राज्य बनाम। धरम बीर (1998) 6 एस. सी. सी. 165: [1998] 3 एस. सी. आर. 511; सैयद खालिद रिज़वी और अन्य। वी. भारत संघ और ओआरएस।

1993 सप. (3) एससीसी 575: [1992] 3 पूरक।

एससीआर 180; सत्यजीत कुमार और ओआरएस। वी. झारखंड राज्य

ओआरएस।

सूरजप्रकाश गुप्ता और अन्य। वी. जे एंड के राज्य और ओआरएस। (2000) 7 एससीसी 561: [2000] 3 एससीआर 807; आर. एस. गर्ग

वी. उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। (2006) 6 एससीसी 430: [2006]

4 पूरक। एससीआर 120; राजेश कुमार बनाम। बिहार राज्य

(2013) 4 एससीसी 690: [2013] 4 एस. सी. आर. 753; रन विजय सिंह

वी. उत्तर प्रदेश राज्य (2018) 2 एससीसी 357: [2017] 12 एससीआर 95;

वामन राव बनाम। भारत संघ (1981) 2 एससीसी 362: [1981]

(2007) 2 एससीसी 1: [2007] 1 एससीआर 706; एस. आर. चौधरी वी. पंजाब राज्य (2001) 7 एससीसी 126: [2001] 1 पूरक।

एस. सी. आर. 621; अजय हासिया V.Khalid मुजीब सेहरावदी (1981)

1 एससीसी 722: [1981] 2 एससीआर 79; ई. पी. रोयप्पा बनाम की स्थिति

तमिलनाडु (1974) 2 एस. सी. सी. 3: [1974] 2 एस. सी. आर. 328;

मेनका गांधी बनाम। भारत संघ (1978) 1 एससीसी 248:

[1978] 2 एस. सी. आर. 621; रमण दयराम शेट्टी बनाम।

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण और अन्य। (1979)

3 एस. सी. सी. 489 [1979] 3 एस. सी. आर. 1014; नीलिमा मिश्रा बनाम। हरिंदर कौर पेंटल (1990) 2 एस. सी. सी. 746: [1990]

2 एस. सी. आर. 84; पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट

कं. लिमिटेड बनाम। भारतीय रिजर्व बैंक (1992) 2 एससीसी 343:

[1992] 1 एस. सी. आर. 406 संदर्भित है।

मामला

कानून संदर्भ

[2002] 1 पूरक। एससीआर 317

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा 3.8

[1970] 1 एससीआर 115

संदर्भित किया गया है

पैरा 3.8

[1984] 3 एससीआर 942

संदर्भित किया गया है

पैरा 3.8

[2005] 3 एससीआर 1171

संदर्भित किया गया है

पैरा 3.8

[1994] 2 पूरक। एससीआर 665

संदर्भित किया गया है

पैरा 3.8

[1992] 2 पूरक। एससीआर 454

पीछा किया।

पैरा 3.8

(2021) 11 एस. सी. सी. 401

पीछा किया।

पैरा 3.8

[1970] 1 एससीआर 115

संदर्भित किया गया है

पैरा 7.7

[1970] 3 एससीआर 233

संदर्भित किया गया है

पैरा 7.9

[1962] 1 एससीआर 688

संदर्भित किया गया है

पैरा 7.9

[1973] पूरक। एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा

7.13 [2022] 12 एस. सी.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1968] 2 एससीआर 786

पैरा

8.2

संदर्भित किया गया है

(1971) 2 एससीसी 22

संदर्भित किया गया है

पैरा

8.3

[1977] 1 एससीआर 194

संदर्भित किया गया है

पैरा

8.3

(2018) 16 एस. सी. सी. 447

संदर्भित किया गया है

पैरा 10

[2014] 7 एससीआर 348

संदर्भित किया गया है

पैरा

11.1

[1995] 2 एससीआर 35

पैरा

11.1

संदर्भित किया गया है

(1999) 3 एस. सी. सी. 362

पैरा

11.1

संदर्भित किया गया है

[1985] 2 पूरक। एससीआर 131

संदर्भित किया गया है

पैरा

12.3

[1961] 3 एससीआर 185

संदर्भित किया गया है

पैरा

12.5

[1994] 2 पूरक। एससीआर 665

संदर्भित किया गया है

पैरा

13.4

[1970] 1 एससीआर 115

संदर्भित किया गया है

पैरा

13.5

[2005] 3 एससीआर 1171

संदर्भित किया गया है

पैरा

13.5

[1984] 3 एससीआर 942

संदर्भित किया गया है

पैरा

13.7

[2019] 12 एससीआर 1071

पैरा

13.9 (I

संदर्भित किया गया है

[2017] 10 एससीआर 428

पैरा

13.9 (I

संदर्भित किया गया है

(2014) 15 एस. सी. सी. 731

पैरा

13.9 (1)

संदर्भित किया गया है

[1998] 3 एससीआर 511

संदर्भित किया गया है

पैरा

13.9 (I

पैरा 13.9 (वी.

[1992] 3 पूरक। एससीआर 180

संदर्भित किया गया है

[2000] 3 एससीआर 807

पैरा

13.9 (वी.

संदर्भित किया गया है

[2006] 4 पूरक। एससीआर 120

संदर्भित किया गया है

पैरा

13.9 (वी.

[2006] 3 एससीआर 953

उस पर भरोसा करें

पैरा

13.9 (वी.

[2013] 4 एससीआर 753

संदर्भित किया गया है

पैरा

13.9

[2017] 12 एससीआर 95

संदर्भित किया गया है

पैरा

13.10

[1973] पूरक। एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा

18.4

[1981] 2 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा

18.4

[2007] 1 एससीआर 706

संदर्भित किया गया है

पैरा

18.4

[2001] 1 पूरक। एससीआर 621

संदर्भित किया गया है

पैरा

18.4

[1981] 2 एससीआर 79

संदर्भित किया गया है

पैरा 18.4 सत्यजीत कुमार और ओआरएस। वी. झारखंड राज्य और

ओआरएस।

[1974] 2 एससीआर 348

पैरा

18.4

संदर्भित किया गया है

[1978] 2 एससीआर 621

पैरा

18.4

संदर्भित किया गया है

[1979] 3 एससीआर 1014

संदर्भित किया गया है

पैरा

18.4

[1990] 2 एससीआर 84

संदर्भित किया गया है

पैरा

18.4

[1992] 1 एससीआर 406

संदर्भित किया गया है

पैरा

18.4

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 4038

2022 तक।

उच्च न्यायालय के 21.09.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2017 की रिट याचिका (सी) संख्या 1387 में रांची में झारखंड सरकार की ओर से।

के साथ

सिविल अपील Nos.4039,4040,4041,4042,4043,4044,4045,4046,

4047 , 4048 , 4049 , 4050 और 2022 का 4079।

विकास सिंह, राजीव धवन, आर. वेंकटरमानी, पी. एस. पटवालिया,

सुश्री विभा दत्ता मखीजा, कपिल सिब्बल, सुनील कुमार, अरुणाभ चौधरी, गोपाल शंकरनारायणन, अजीत कुमार सिन्हा, श्रीमती वी. मोहना, कॉलिन गोंजाल्विस, पल्लव शिशोदिया, रंजीत कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता। , प्रशांत शुक्ला, सुयश श्रीवास्तव, सुश्री श्रेया मिश्रा, प्रवीण गौर, करण मामागैन, प्रखर श्रीवास्तव, चितवान सिंघल, प्रवीण विवनेश, सुश्री प्रतिभा शुक्ला, सत्यजीत कुमार, सुश्री प्रज्ञा बघेल, विष्णु शर्मा, कुमार अनुराग सिंह, कुमार अभिषेक, शशांक, सुश्री पल्लवी लंगर, मिथलेश कुमार सिंह, श्रीमती मंजू सिंह, तरुण वर्मा, राज मणि मिश्रा, कबीर दीक्षित, अमित अग्रवाल, विज्ञान शाह, सुश्री राधिका यादव, अक्षित गुप्ता, हरिंदर नील, सुश्री रोहिणी प्रसाद, पुनीत जैन, विज्ञान शाह, सुश्री क्रिस्टी जैन, सुश्री श्रुति सिंह, अक्षित गुप्ता, उमंग मेहता, योगित। मनोज स्वरूप एंड कंपनी, विक्रम सिंह कुशवाहा, रूपेंशु प्रताप सिंह, विकास गोथवाल, सुरजीत सिंह, विश्व पाल सिंह, सुनील कुमार पांडे, मोहन लाल शर्मा, के. परमेश्वर, प्रियंक उपाध्याय, कृष्ण कुमार सिंह, साहिल भालैक, सुश्री शोमिला बख्शी, गोविंद जी, ओमानकुट्टन के. के., प्रशांत भूषण, सुश्री एलिस राज, ब्रजेश पांडे, अनिलेंद्र पांडे, चेतन जोशी, सिद्धार्थ सीम, संदीप कुमार द्विवेदी, सुश्री सावित्री वर्मा, राकेश मिश्रा, रवि

चंद्र प्रकाश, पुरुषोत्तम शर्मा त्रिपाठी, ललित के. आर. मेसर्स रविचंद्र [2022] 12 एस. सी. आर. के लिए सिंह, विज्ञान शाह, मुकेश कुमार सिंह, सुश्री वाणी व्यास।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रकाश एंड कंपनी, हितेश कुमार शर्मा, एस. के. राजोरा, अखिलेश्वर झा, ई. विनय कुमार, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1.0 . रिट याचिका संख्या 1387 में पारित किए गए विवादित सामान्य निर्णय और दिनांक 21.09.2020 के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना।

2017 और अन्य संबद्ध रिट याचिकाएँ और संबंधित आवेदन, जिनके द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिकाओं को अनुमति दी है और यह अभिनिर्धारित और घोषित किया है कि झारखंड राज्य द्वारा जारी अधिसूचना No.5938 और आदेश No.5939 दिनांक 14.07.2016 और 2016 का विज्ञापन No.21 दिनांक 28.12.2016 2016 के विज्ञापन No.21 द्वारा संशोधित किया गया है, जिसे राज्य सरकार ने कार्मिक, प्रशासनिक सुधार विभाग और राजभाषा विभाग के माध्यम से 2016 में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया है।

झारखंड राज्य में तेरह अनुसूचित क्षेत्रों के स्थानीय उम्मीदवारों/निवासियों के लिए 100% आरक्षण को अवैध, अधिकार से बाहर और असंवैधानिक बताते हुए सरकारी माध्यमिक विद्यालयों ने प्रशिक्षित स्नातकों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया है

वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है। 2.0 . 2022 की सिविल अपील No.4043 को उन याचिकाकर्ताओं द्वारा प्राथमिकता दी गई है जो उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं थे।

उनकी नियुक्ति न करने में राज्य सरकार की कार्रवाई। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह मामला है कि राज्य सरकार ने 2017 की रिट याचिका No.1387 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश की गलत व्याख्या की है। यह उनका मामला है कि उच्च न्यायालय के समक्ष विवाद प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों की नियुक्ति और 2016 की विज्ञापन अधिसूचना No.21 के संबंध में था। हालाँकि, जहाँ तक याचिकाकर्ताओं का संबंध है, उनके अनुसार, वे विज्ञापन संख्या के योग्य आवेदक हैं। 1 लोअर डिवीजनल क्लर्क (कलेक्टोरेट कैडर)-जिला स्तर के पोस्ट पंचायत सचिव-जिला स्तर के पदों और लोअर डिवीजनल क्लर्क-राज्य स्तर के पद, राज्य आशुलिपिक-राज्य स्तर के पद के लिए 2017 और 2017 का 2 और इस मुद्दे से संबंधित किसी भी तरीके से उच्च न्यायालय के समक्ष आंदोलन नहीं किया गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह मामला है कि वे सत्यजीत कुमार और ओआरएस के संबंध में अंतिम परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

वी. झारखंड और ओआरएस का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

उपरोक्त पद और वर्ष 2019 में झारखंड कर्मचारी चयन समिति द्वारा किए गए दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया से भी गुजरे हैं।

2.1 . झारखंड राज्य ने 2022 की सिविल अपील No.4048 को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए दायर किया है।

4.3.2022 2021 के अवमानना मामले संख्या 109 में पारित किया गया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 2022 की सिविल अपील गैर-अनुसूचित जिलों से संबंधित उम्मीदवारों के संबंध में है जिन्होंने पहले उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर की थीं और उच्च न्यायालय ने गैर-अनुसूचित जिलों से संबंधित उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश जारी करने का निर्देश दिया था। यह ध्यान देने योग्य है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष आगे की अवमानना कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है।

2.2 . 2022 की सिविल अपील No.4050 को अनुसूचित जिलों से संबंधित उम्मीदवारों द्वारा प्राथमिकता दी गई है और जिन्होंने उपरोक्त विज्ञापन के अनुसार एक प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में आवेदन किया है और जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.09.2019 द्वारा पारित अंतरिम आदेश के बाद नियुक्त नहीं किया गया है।

3.0 . संक्षेप में वर्तमान अपीलों की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं:

3.1 . राष्ट्रपति की अधिसूचना दिनांक 11.04.2007 के अनुसार झारखंड राज्य के 13 जिलों को अनुसूचित घोषित किया गया था।

क्षेत्र। कि उक्त अधिसूचना पाँचवीं अनुसूची के अनुच्छेद 6 के उप-अनुच्छेद (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी।

भारत के संविधान के लिए। उक्त अधिसूचना के अनुसार, झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों को अनुसूचित क्षेत्र/जिला घोषित किया गया था।

1 .

रांची जिला।

लोहरदग्गा जिला।

2 .

3 .

गुमला जिला।

सिमडेगा जिला।

4 .

5 .

लातेहार जिला।

पूर्व-सिंहभूम जिला।

6 .

पश्चिम-सिंहभूम जिला।

7 .

सरायकेला-खरसावां जिला।

8 .

साहेबगंज जिला।

9 .

2] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दुमका जिला।

10 .

11 .

पाकुड़ जिला।

जामतारा जिला।

12 .

पलामू जिला-रबड़ा और बकोरिया की पंचायतें

13 .

सतबरवा ब्लॉक।

14. गोड्डा जिला-सुंदरपहाड़ी और बोरिजोर ब्लॉक।

(इसके बाद "अनुसूचित क्षेत्र" के रूप में संदर्भित)।

वह 2016 की रिट याचिका (पी. आई. एल.) संख्या 4806 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार, राज्य द्वारा दिनांकित 18.04.2016 परिपत्र के अनुसार सरकार ने "झारखंड के स्थानीय निवासी" की परिभाषा निर्धारित की। उक्त परिपत्र के अनुसार, झारखंड के स्थानीय निवासी को ऐसा भारतीय नागरिक माना जाएगा जो निम्नलिखित में से किसी भी एक शर्त को पूरा करेगा।

" ((i)। वह झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमाओं के भीतर रह रहा होगा और या तो उसका अपना नाम या उसके पूर्वजों का नाम सर्वेक्षण खाता में दर्ज किया गया होगा। भूमिहीनों के मामलों में, उनकी पहचान संबंधित ग्राम सभा द्वारा की जाएगी जो इस पर आधारित होगी -

राज्य में प्रचलित भाषा, संस्कृति और परंपराएँ

झारखंड।

((ii) किसी भी व्यापार, रोजगार और अन्य कारणों से पिछले 30 वर्षों या उससे अधिक समय से झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमाओं के भीतर रह रहा होगा और

अर्जित अचल संपत्ति या ऐसे व्यक्ति की पत्नी/पति/बच्चा है और वह झारखंड राज्य में रहने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। (
iii) झारखंड राज्य सरकार के तहत कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त किया गया होगा/संस्थान जो राज्य

सरकार, निगम आदि द्वारा संचालित/मान्यता प्राप्त हैं। या पत्नी/पति/बच्चे हैं और रहने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं

झारखंड राज्य में।

सत्यजीत कुमार और ओआरएस। वी. झारखंड और ओआरएस का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

((iv) भारत सरकार का अधिकारी/कर्मचारी, जो झारखंड राज्य में कार्यरत है या जिसकी 188 पत्नियाँ/पति/बच्चे हैं और

झारखंड राज्य में रहने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करें।

(v) झारखंड राज्य में किसी भी संवैधानिक या वैधानिक पद पर नियुक्त व्यक्ति या जिसकी पत्नी/पति/बच्चा है और

झारखंड राज्य में रहने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करें।

(vi) ऐसा व्यक्ति जो राज्य में पैदा हुआ होगा

झारखंड और अपनी पूरी शिक्षा पूरी की

मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिक या उसके समकक्ष स्तर झारखंड राज्य में स्थापित संस्थान और झारखंड राज्य में रहने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।

3.3 . इसके बाद, राज्य सरकार अधिसूचना संख्या 5938 और आदेश संख्या 5939 दिनांक 14.7.2016 के साथ आई। कि राज्य के तेरह अनुसूचित जिलों में, केवल संबंधित जिलों (तेरह अनुसूचित जिलों) के स्थानीय निवासी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दस (10) वर्ष की अवधि के लिए जिला संवर्ग तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्त होने के पात्र होंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त आदेश झारखंड के राज्यपाल द्वारा जारी किया गया था

भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची के अनुच्छेद 5 के उप-अनुच्छेद (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करना। दिनांकित 14.07.2016 क्रम में यह निम्नानुसार देखा गया हैः

" और जबकि, राज्य में अनुसूचित क्षेत्र हैं निम्न मानव विकास सूचकांकों की विशेषता,

पिछड़ेपन, दूरस्थ गरीबी और जबकि अनुसूचित क्षेत्रों के सामाजिक संकेतक औसतन निम्न स्तर के हैं। असमान स्थलाकृति , जल संसाधनों की कमी, वन के चंदवा क्षेत्र में कमी और अनियंत्रित तेजी से औद्योगीकरण के कारण राज्य में सामाजिक संकेतकों का औसत;

और जबकि, ऊपर बताए गए कारकों को पहचानते हुए,

झारखंड की जनजातीय सलाहकार परिषद ने सिफारिश की है

साहेबगंज, पाकुड़, (दुमका, जामताड़ा, लातेहार, रांची, खूंटी) जैसे 13 जिलों में जिला स्तर पर कक्षा 3 और कक्षा 4 के पदों पर नियुक्ति के लिए विभिन्न नियुक्ति नियमों में निहित पात्रता शर्तों को 10 साल की अवधि के लिए निलंबित करने के लिए राज्यपाल द्वारा अधिसूचना जारी करना।

गुमला, लोहरदग्गा सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम

सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां प्रतिशत [2022] 12 एस. सी. आर. की नियुक्ति के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रतिशत जिला स्तर वर्ग-3 और वर्ग-4 पद स्थानीय स्तर पर

संबंधित जिले के निवासी;

और जबकि, झारखंड के राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्रों में लोगों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, स्थानीय लोगों के पक्ष में रोजगार के अतिरिक्त अवसर प्रदान करके अनुसूचित क्षेत्रों के निवासी "।

3.4 . कि उसके बाद, आगे का आदेश प्रकाशित किया जाने लगा

11.11.2016 विशेष रूप से यह स्पष्ट करते हुए कि राज्य के 24 जिलों में से 13 अधिसूचित जिलों में जिला स्तर के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए केवल संबंधित जिलों के स्थानीय निवासियों को ही पात्र माना जाता है और इन जिलों में अन्य जिलों/अन्य राज्यों के लोगों की नियुक्ति की अनुमति नहीं है। अर्थात्, यह स्पष्ट किया गया कि गैर-अनुसूचित जिलों से संबंधित उम्मीदवार अनुसूचित जिलों में चयन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं।

3.5 . कि विज्ञापन सं। 21 2016 का प्रकाशन 28.12.2016 पर दिनांकित 4.2.2017 विज्ञापन द्वारा संशोधित किया गया था जो था

अधिसूचना No.5938 दिनांक 14.07.2016 के अनुसरण में जारी किया गया,

17, 784 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिनमें से 13,398 पदों (कुल विज्ञापित पदों का 75 प्रतिशत) को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना था और शेष 25 प्रतिशत पद अर्थात 4386 पद प्राथमिक शिक्षकों के लिए आरक्षित थे। उक्त विज्ञापन झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग (इसके बाद "जेएसएससी" के रूप में संदर्भित) के माध्यम से जारी किया गया था। पैरा 5 (iii) में विज्ञापन में, यह था

उन्होंने कहा कि जहां तक अनुसूचित जिलों और राज्य में रिक्तियों का संबंध है, केवल उन अनुसूचित जिलों के स्थानीय निवासी ही आवेदन करने के हकदार होंगे। विज्ञापन के पैरा 5 (i) के अनुसार, एक उम्मीदवार अपनी पसंद के केवल एक जिले में रिक्ति के खिलाफ आवेदन कर सकता है। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि राज्य के तेरह अनुसूचित जिलों में रिक्तियों को भरने के लिए सभी 8423 पदों का विज्ञापन किया गया था, जबकि राज्य के शेष गैर-अनुसूचित जिलों के लिए 9149 पदों का विज्ञापन किया गया था।

3.6 . कई उम्मीदवारों ने पदों के लिए आवेदन किया और चयन प्रक्रिया से गुजरे। परिणाम प्रकाशित किए गए और प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा नियुक्तियाँ शुरू की गई थीं। गैर-अनुसूचित जिलों से संबंधित उम्मीदवार जिन्हें अनुसूचित जिलों में रिक्तियों के लिए आवेदन करने से रोका गया था, उन्होंने रिट सत्यजीत कुमार और ओआरएस को प्राथमिकता दी।

वी. झारखंड और ओआरएस का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 5938 और आदेश No.5939 दिनांक 14.07.2016 के साथ जारी अधिसूचना और आदेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा केवल संबंधित अनुसूचित जिलों के स्थानीय निवासियों को 10 साल की अवधि के लिए जिला संवर्ग तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र बनाया गया था। मूल रिट याचिकाकर्ता-गैर-अनुसूचित उम्मीदवारों से संबंधित उम्मीदवारों ने भी 2016 के बाद के विज्ञापन No.21 को चुनौती दी, जैसा कि 2016 के विज्ञापन No.21 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसमें नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे।

सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के पदों के लिए विशेष रूप से, उक्त विज्ञापन के पैरा 5 (iii), जिसके द्वारा यह कहा गया था कि जहां तक राज्य के अनुसूचित जिलों में रिक्तियों का संबंध है, केवल उन अनुसूचित जिलों के स्थानीय निवासी ही आवेदन करने के पात्र होंगे।

3.7 . 21.2.2019 दिनांकित आदेश द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने निर्देश दिया कि नोटिस दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाएं।

रिट याचिकाओं की संस्थाओं के बारे में व्यापक प्रसार होना ताकि इच्छुक व्यक्ति रिट याचिकाओं में हस्तक्षेप कर सके। इस तरह से नोटिस, कई अंतर्वर्ती आवेदन/मध्यस्थ आवेदन दायर किए गए, जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई।

इन मामलों में शामिल संवैधानिक महत्व के प्रश्न को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने दिनांक 1 के आदेश द्वारा मामले को बड़ी पीठ द्वारा तय करने के लिए भेजा। उसी आदेश दिनांक 18.09.2019 द्वारा, उच्च न्यायालय ने आगे रोक लगा दी

विवादित अधिसूचना No.5938 और आदेश No.5939 दिनांकित 14.7.2016 का कार्यान्वयन और संचालन, पहले से की गई नियुक्तियों के अधीन, यदि कोई हो। 3.8 गैर-अनुसूचित जिलों से संबंधित मूल रिट याचिकाकर्ता उम्मीदवारों की ओर से यह मामला था कि उपरोक्त अधिसूचना अनुच्छेद 5 (i) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी।

भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 (2) को भी सेवा में लगाया गया था। अनुच्छेद पर भारी निर्भरता रखी गई थी

16 (2) भारत का संविधान। मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 (i) में गैर-अबाधित खंड की आड़ में, राज्यपाल संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन और/या उन्हें प्रभावित नहीं कर सकता है और [2022] 12 एस. सी. आर. के लिए कोई आरक्षण नहीं हो सकता है।

कैलाश चंद शर्मा बनाम राजस्थान राज्य और ओआरएस। (2002) 6 एस. सी. सी. 562 में रिपोर्ट किया गया; ए. वी. एस. नरसिम्हा राव और अन्य

बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्र। (1969) 1 एस. सी. सी. 839 में रिपोर्ट किया गया; डॉ. प्रदीप जैन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। में सूचित किया गया

चेन्नोलु लीला प्रसाद राव और अन्य बनाम के मामले में इस न्यायालय की हाल की संवैधानिक पीठ का निर्णय। ए. पी. और अन्य का राज्य (2021) 11 एस. सी. सी. 401 में सूचित किया गया। 4.0 . दूसरी ओर, राज्य के साथ-साथ अनुसूचित जिलों से संबंधित सफल उम्मीदवारों की ओर से यह मामला था कि

अनुसूचित क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षण करने की अधिसूचना पूरी तरह से दायरे, दायरे और शक्तियों के भीतर थी/है भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची के पैरा 5 का प्रयोग करते हुए।

4.1 . यह प्रस्तुत किया गया था कि अनुसूचित क्षेत्रों/जिलों से संबंधित स्थानीय निवासियों के उत्थान के लिए ऐसा आरक्षण है -

अनुमति है। यह प्रस्तुत किया गया कि पांचवीं अनुसूची के तहत अनुसूचित जिलों/क्षेत्रों को घोषित करने का उद्देश्य और उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों के उत्थान और बेहतरी के लिए है। राज्य और अनुसूचित क्षेत्रों/जिलों से संबंधित सफल उम्मीदवारों की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि पांचवीं अनुसूची के तहत विशेष शक्तियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत प्रतिबंध के अधीन नहीं हैं। गैर-बाध्य खंड पर भारी निर्भरता रखी गई थी। यह.

यह प्रस्तुत किया गया था कि भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची का पैरा 5 (i) "इस संविधान में कुछ भी शामिल होने के बावजूद" शब्दों से शुरू होता है। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि राज्यपाल भी सत्यजीत कुमार और ओआरएस द्वारा कर सकते हैं।

वी. झारखंड और ओआरएस का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

सार्वजनिक अधिसूचना निर्देश देती है कि संसद का कोई विशेष अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होगा; अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में राज्यपाल को प्रदत्त शक्तियां विशेष शक्तियां हैं और इसलिए, ऐसी शक्तियां अनुच्छेद 16 और/या भारत के संविधान के किसी अन्य प्रावधान में निहित किसी भी प्रतिबंध के अधीन नहीं हैं।

5.0 . विवादित सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा और मामले में इस न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निर्णय का पालन करते हुए

चेब्रोलु लीला प्रसाद राव (ऊपर), उच्च न्यायालय ने उपरोक्त अधिसूचना और उपरोक्त विज्ञापन को असंवैधानिक और/या अधिकार से बाहर घोषित कर दिया है, इस हद तक कि अनुसूचित क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों के लिए 100% आरक्षण है। विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने यह भी माना है कि अधिसूचना और आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (3) और 35 (ए) का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि ऐसी शक्तियां केवल संसद में निहित हैं, न कि राज्य के पास।

विधायिका। विवादित सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने 2016 के विज्ञापन No.21 के पैरा 5 (iii) को भी रद्द कर दिया है, जैसा कि दिनांकित 4.2.2017 के विज्ञापन द्वारा संशोधित किया गया है, इस हद तक कि यह प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जिलों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रिक्त पदों के मुकाबले, केवल उन अनुसूचित जिलों के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों की की गई सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया है उपरोक्त विज्ञापन के अनुसार, अनुसूचित जिलों में केवल उन जिलों के स्थानीय निवासियों से संबंधित। कि उच्च न्यायालय ने आगे निर्देश दिया है कि झारखंड राज्य के अनुसूचित जिलों में सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के सभी 8423 पदों का नए सिरे से विज्ञापन किया जाए और नई चयन प्रक्रिया शुरू की जाए।

कानून के अनुसार किया गया। उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि वे सभी उम्मीदवार जो आवेदन करने के पात्र थे

2016 का विज्ञापन No.21, उनकी उम्र के संबंध में किसी भी बाधा, यदि कोई हो, के बावजूद, नई चयन प्रक्रिया में आवेदन करने का हकदार होगा।

उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि विज्ञापन अंतरिम आदेश दिनांक 18.09.2019 द्वारा चयन प्रक्रिया पर कभी भी रोक नहीं लगाई गई थी।

गैर-अनुसूचित जिलों में न्यायालय और गैर-अनुसूचित जिलों में किसी भी पद पर नियुक्तियों के लिए कोई रोक नहीं थी। उच्च न्यायालय के अनुसार विवादित सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा सभी रिट याचिकाओं को तदनुसार अनुमति दी गई है।

5.1 . झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा [2022] 12 एस. सी. आर. घोषित किए गए विवादित सामान्य निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिसूचना संख्या 5938 और आदेश No.5939 दिनांक 14.07.2016 को असंवैधानिक और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,16 (2), 16 (3) और 35 (a-i) के अधिकार से परे बताते हुए और इसके परिणामस्वरूप अनुच्छेद 5 (iii) को रद्द करते हुए

केवल तेरह अनुसूचित जिलों के स्थानीय निवासियों के लिए 4.2.2017 आरक्षण प्रदान करने की सीमा तक 28.12.2016 पर प्रकाशित 2016 का विज्ञापन संख्या 21, अनुसूचित क्षेत्रों/जिलों के स्थानीय निवासियों-अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित चयनित उम्मीदवारों ने वर्तमान को प्राथमिकता दी है।

अपील करते हैं।

6.0 . डॉ. राजीव धवन, श्री विकास सिंह, श्री आर. वेंकटरमानी, सुश्री विभा दत्ता मखीजा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित हुए हैं।

अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित सफल उम्मीदवारों की ओर से। हमने झारखंड राज्य की ओर से श्री कपिल सिब्बल और श्री सुनील कुमार विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं को पेश होते हुए सुना है। हमने श्री रंजीत कुमार और श्री गोपाल शंकरनारायणन को सुना है, जो गैर-अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित उम्मीदवारों-मूल याचिकाकर्ताओं-की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता हैं।

/ जिले। हमने अन्य संबंधित पक्षों/हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अजीत कुमार सिन्हा, श्री कॉलिन गोंजाल्विस और श्री पल्लव शिशोदिया को भी सुना है।

7.0 . श्री आर. वेंकटरमानी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित हुए

अनुसूचित जिलों/क्षेत्रों से संबंधित कुछ सफल उम्मीदवारों की ओर से जोर देकर कहा गया है कि

विवादित सामान्य निर्णय और आदेश उच्च न्यायालय ने पांचवीं अनुसूची के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा के उद्देश्य और उद्देश्य और भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 के तहत राज्यपाल को विशेष शक्तियां प्रदान करने के उद्देश्य और उद्देश्य की उचित रूप से सराहना और विचार नहीं किया है।

7.1 . यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने भी उचित रूप से सराहना नहीं की है और उन कारणों पर विचार नहीं किया है जिनके लिए अधिसूचना और

14.07.2016 दिनांकित आदेश राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी किया गया था।

7.2 . यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अधिसूचना और दिनांकित 14.07.2016 आदेश से पता चलता है कि झारखंड राज्य के अनुसूचित जिले

ये निम्न मानव विकास सूचकांकों, पिछड़ेपन, दूरस्थता, गरीबी की विशेषता हैं और ये असमान स्थलाकृति, जल संसाधनों की कमी, वन के चंदवा औसत में कमी और अनियंत्रित तेजी से औद्योगिकीकरण के कारण राज्य में सामाजिक सूचकांकों से औसतन कम हैं।

कि उपरोक्त आधारों और कारणों के कारण, अधिसूचना में सत्यजीत कुमार और ओआरएस थे।

वी. झारखंड और ओआरएस का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

अनुसूचित जिलों के निवासियों के हितों की रक्षा के लिए राज्यपाल द्वारा जारी किया जाना।

7.3 . भारत के संविधान के अनुच्छेद 29,38 और 46 और संविधान के अनुच्छेद 244 पर निर्भरता की ओर ले जाते हुए

7.4 . यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 (2) केवल धर्म, नस्ल के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास और इन अभिव्यक्तियों से पहले "केवल" शब्द होता है और उसके बाद "या उनमें से कोई भी" अभिव्यक्ति होती है जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. वेंकटरमानी द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि सफल उम्मीदवार अनुसूचित क्षेत्र के थे, हालांकि यह मूल याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क था कि अनुच्छेद 16 (2) और 16 (3) में उल्लिखित आधार पर भेदभाव निषिद्ध है और यदि भारत के संविधान के अनुच्छेद 29,38 और 46 के तहत कोई सुरक्षात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है तो इसे अन्य कारकों के साथ संयोजन में लिया जाता है और भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 (2) आकर्षित नहीं होगा, भले ही इसके परिणामस्वरूप नागरिकों के दूसरे समूह के साथ कुछ भेदभाव हो।

7.5 श्री आर. वेंकटरमानी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित थे।

याचिकाकर्ताओं की ओर से आगे कहा गया है कि राज्य का राज्यपाल संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 (i) के तहत पूरी तरह से सक्षम है। भारत सरकार न्याय, सामाजिक, आर्थिक [2022] 12 एस. सी. आर. प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जिलों के निवासियों के पक्ष में आरक्षण देने वाली अधिसूचना जारी करेगी।

और पृष्ठभूमि में विभिन्न रूप से पीड़ित निवासियों के लिए राजनीतिक

अधिसूचना में उल्लिखित शर्तें। यह आग्रह किया जाता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 (4) के तहत राज्य को विशेष अधिकार देने का अधिकार है।

नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उन्नति के प्रावधान, जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का कोई उल्लंघन नहीं है।

भारत से। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. वेंकटरमानी ने आगे कहा कि अनुसूचित क्षेत्र की तुलना गैर-अनुसूचित क्षेत्र के साथ नहीं की जा सकती है।

अनुसूचित क्षेत्र। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए, निवासियों के हितों की रक्षा करना आवश्यक पाया गया

अनुसूचित जिलों से।

7.6 . यह प्रस्तुत किया जाता है कि अनुसूचित जिलों में स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए यह बहुत फायदेमंद होगा, यदि उन्हें पढ़ाया जाता है

बाहरी लोगों के बजाय स्थानीय शिक्षकों द्वारा उनकी अपनी आदिवासी भाषा, जो स्थानीय भाषा से अच्छी तरह से परिचित नहीं हो सकते हैं। यह आग्रह किया जाता है कि उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती के तहत आदेशों को नुकसान न पहुंचे

अवसर की समानता से इनकार और/या भेदभावपूर्ण। इसके अलावा उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती के तहत आदेश केवल राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों की महसूस की गई जरूरतों के संदर्भ में अवसर की समानता का वितरण करता है। इसलिए, अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में किए जा रहे उचित प्रावधानों पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि संविधान उचित आधारों पर भेदभाव की अनुमति देता है। 7.7 . यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अनुच्छेद 16 (3) का दायरा अंतर-राज्य सीमाओं तक ही सीमित है और इसका किसी राज्य के भीतर के क्षेत्रों पर कोई अनुप्रयोग नहीं है।

राज्य। इस संदर्भ में, ए. वी. एस. नरसिम्हा राव और अन्य के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया जाता है। बनाम। ए. पी. राज्य (1970) 1 एस. सी. आर. 115 में सूचित किया गया।

7.8 . यह प्रस्तुत किया जाता है कि राज्यपाल के पास पैरा 1 के तहत शक्ति है।

पाँचवीं अनुसूची के पैरा 5 (1) और (2) के तहत राज्यपाल को प्रदत्त शक्तियाँ पूर्ण और अनन्य शक्तियाँ हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए राज्यपाल संसद द्वारा बनाए गए कानून पर भी रोक लगा सकते हैं और इसलिए उक्त शक्तियां संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत प्रतिबंधों के अधीन नहीं हैं। भारत का संविधान।

सत्यजीत कुमार और ओआरएस। वी. झारखंड और ओआरएस का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. वेंकटरमानी ने आगे कहा है कि चेब्रोलु लीला प्रसाद राव (उपरोक्त) के मामले में इस अदालत का निर्णय मामले के तथ्यों पर बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। कि चेब्रोलु लीला प्रसाद राव (उपरोक्त) के मामले में 100% वरीयता थी /

केवल आंध्र प्रदेश के संबंधित स्थानीय क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में आरक्षण, जहां स्कूल स्थित हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि तत्काल मामले में केवल के पक्ष में ऐसा कोई आरक्षण नहीं है

अनुसूचित क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातियाँ। उन्होंने अपनी दलीलों के समर्थन में निम्नलिखित विशिष्ट विशेषताओं की ओर इशारा किया है कि चेब्रोलु लीला प्रसाद राव (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय वर्तमान मामलों में लागू नहीं किया जाएगा।

सभी उम्मीदवार चाहे अनुसूचित हों या गैर-अनुसूचित

आई.

क्षेत्र केवल जिले में ही आवेदन कर सकते हैं।

जिला स्तर पर केवल तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पद शामिल हैं।

II.

कर्मचारियों के स्थानांतरण की योग्यता के संदर्भ में, आम तौर पर इस न्यायालय ने कहा है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पद

एक अलग पायदान पर खड़े हों।

जिलों के भीतर सभी उम्मीदवार, चाहे एससी/एसटी/बीसी या

III.

ओ. बी. सी., जनरल आवेदन कर सकते हैं। प्रावधान प्रायोगिक थे अर्थात केवल 10 तक चलने वाले थे।

IV.

वर्षों से। (सामाजिक-आर्थिक मामलों में विधायी प्रयोग

न्यायिक सम्मान प्राप्त करेंगे।

7.9 . राम के मामले में इस अदालत के फैसलों पर भरोसा करते हुए

कृपाल भगत बनाम बिहार राज्य ने (1970) 3 एस. सी. आर. 233 में रिपोर्ट की और पुरानलाल लखनपाल बनाम भारत के राष्ट्रपति के मामले में ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 1519 में रिपोर्ट की गई, यह प्रार्थना की जाती है कि चेब्रोलु लीला प्रसाद राव (उपरोक्त) के मामले में निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

7.10 . यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय के समक्ष आक्षेपित राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना प्रभावित नहीं होती है भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 और इस तरह के चेब्रोलु लीला प्रसाद राव (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले के दायरे में नहीं आते हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिसूचनाओं का पता संविधान के अनुच्छेद 16 (3) और पांचवीं अनुसूची दोनों से लगाया जा सकता है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि पाँचवीं अनुसूची के तहत राज्यपाल को संसद और राज्य विधानमंडल के बराबर रखा गया है, और इसके तहत प्रयोग की जाने वाली शक्ति पूर्ण विधायी शक्ति है, न कि अधीनस्थ [2022] 12 एस. सी. आर.

किसी अन्य विधायी शक्ति के लिए। किसी अनुसूचित क्षेत्र में संसदीय कानून लागू नहीं करने की राज्यपाल की शक्ति उसे संविधान के अनुच्छेद 16 (3) के तहत उपलब्ध संसद की शक्ति के बराबर रखेगी।

7.11 . यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि राज्यपाल वह कर सकते हैं जो संसद संविधान के अनुच्छेद 16 (3) के तहत कर सकती है, और इस प्रकार अनुसूचित क्षेत्रों में स्कूलों के हितों का ध्यान रखने के उपाय के रूप में निवास की आवश्यकता के संबंध में अधिनियम बना सकते हैं। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि अनुच्छेद 16 (3) अनुच्छेद 16 (1) का एक अपवाद है, इसलिए निवास की आवश्यकता के संबंध में किसी भी उचित प्रावधान को बचाया जाएगा। ऐसा नहीं है।

इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कानून या तो संसद या राज्यपाल द्वारा बनाया जाता है। संसदीय कानून को लागू नहीं करने की राज्यपाल की शक्ति में वह करने की शक्ति शामिल है जो संसद अन्यथा कर सकती है।

7.12 . यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि यह अधिसूचनाओं को राज्य द्वारा बनाए गए नियमों के संशोधन उपकरण के रूप में नहीं मानने के लिए खुला है।

7.13 . यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि पाँचवीं अनुसूची संविधान के भीतर एक संविधान है, (केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य देखें। (1973) 4 एस. सी. सी. 225) जो सुझाव देता है कि अनुसूचित क्षेत्रों का सर्वोपरि हित और उनका विकास उन तरीकों से जो क्षेत्रों के अनुरूप हो (उदाहरण के लिए भूमि, वन, खनिज संपदा, आदि और शोषण के खिलाफ सुनिश्चित करने की आवश्यकता) हमेशा राज्यपाल को पांचवीं अनुसूची के तहत शक्तियों के प्रयोग के बारे में सूचित करेगा।

7.14 . यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि नियुक्ति से संबंधित नियम

स्वयं यह प्रावधान करते हैं कि कोई भी उम्मीदवार एक से अधिक जिलों में पदों पर आवेदन नहीं कर सकता है, और यह कि कैडर जिला स्तर के हैं न कि राज्य स्तर के कैडर। अधिसूचना सभी अनुसूचित क्षेत्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित क्षेत्रों में केवल एक जिला आवेदन के समान प्रतिबंध का विस्तार करती है। पात्रों के बीच कोई अंतर-भेदभाव नहीं है

अनुसूचित क्षेत्रों के भीतर रहने वाले उम्मीदवार। उम्मीदवारों की अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण के सभी सिद्धांत भी लागू होते हैं। 7.15 . यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस अदालत ने शिक्षा और सार्वजनिक सत्यजीत कुमार और ओआरएस तक पहुंच के संबंध में अधिवास को एक उचित सिद्धांत के रूप में संरक्षित किया है।

वी. झारखंड और ओआरएस का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

रोजगार। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 371 डी में अधिनियमित सुरक्षा उपाय एक निकटवर्ती उदाहरण हैं।

7.16 . यह प्रस्तुत किया जाता है कि विवादित अधिसूचनाएं भेदभावपूर्ण नहीं हैं। वे केवल निवास स्थान को ही अनुसूचित क्षेत्रों में स्कूलों में नियुक्ति के लिए प्रासंगिक कारक के रूप में नहीं देखते हैं। वे निवास को अन्य कारकों में से एक मानते हैं, अर्थात् अनुसूचित क्षेत्रों में स्कूलों के हितों को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका एक प्रमुख या प्रमुख पहलू के रूप में। अनुसूचित क्षेत्रों में विद्यालयों के हितों और सभी जिलों में शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के सभी के अधिकार के संतुलन में, यदि अनुसूचित जिले के भीतर निवास का कारक विद्यालयों के हित के पक्ष में होगा, तो अनुच्छेद 16 (2) में निवास के आधार पर "केवल" गैर-भेदभाव पर जोर अनुच्छेद 16 (3) के अनुरूप होगा।

लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास, और इन अभिव्यक्तियों से पहले "केवल" शब्द होता है और उसके बाद "या उनमें से कोई भी" अभिव्यक्ति होती है, जो महत्वपूर्ण होती है। वर्तमान मामले में, निम्न मानव विकास सूचकांकों, पिछड़ेपन, दूरस्थता, गरीबी के संचयी कारक, असमान स्थलाकृति, जल संसाधनों की कमी, वन के चंदवा औसत में कमी और अनियंत्रित तेजी से औद्योगीकरण के कारण राज्य में सामाजिक संकेतकों में हीनता को ध्यान में रखा गया है।

7.18 . यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य का राज्यपाल संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैराग्राफ 5 (1) के तहत पूरी तरह से सक्षम है।

भारत अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों की पृष्ठभूमि में विभिन्न रूप से पीड़ित निवासियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जिलों के निवासियों के पक्ष में आरक्षण देने वाली अधिसूचना जारी करेगा।

7.19 . वैकल्पिक रूप से, यह प्रार्थना की जाती है कि भले ही उच्च न्यायालय के समक्ष आक्षेपित अधिसूचना/आदेश को असंवैधानिक माना जाए

और/या अधिकार से परे, उस मामले में, जैसा कि इस न्यायालय ने चेब्रोलु लीला प्रसाद राव (उपरोक्त) के मामले में पहले से की गई नियुक्तियों में किया था।

अनुसूचित क्षेत्रों में भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करके भी बचाया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कई मामलों में अनुसूचित क्षेत्रों में नियुक्त किए गए उम्मीदवार या तो गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में काम कर रहे थे या गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में नियुक्ति पाने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी क्योंकि उन्हें मिल रही थी।

उनके अपने जिलों में नियुक्ति। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इक्विटी भी [2022] 12 एस. सी. आर. हैं।

उनके हित में। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि यहां तक कि नियुक्ति भी

याचिकाकर्ताओं को तब परेशान नहीं किया जा सकता है जब झारखंड राज्य में बड़ी संख्या में पद अभी भी खाली पड़े हैं और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान के तहत, क्षेत्र के निवासियों को शिक्षा तक पहुंच के लिए मौलिक अधिकार उपलब्ध हैं और इसके अलावा शिक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है।

7.20 . यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने बचाव नहीं करने में गलती की है

चेब्रोलु लीला प्रसाद राव (ऊपर) के मामले में निर्णय को संकीर्ण रूप से लागू करके पहले से की गई नियुक्तियाँ। खुली प्रतिस्पर्धा और निष्पक्ष अवसर के अनुसरण में सार्वजनिक सेवाओं में की गई नियुक्तियों की सुरक्षा के लिए एक कारक यह होगा कि क्या नियुक्तियां उम्मीदवारी की धोखाधड़ी या लाभ से दूषित होती हैं, और क्या नियुक्त व्यक्ति विभिन्न मामलों में हारेंगे। यह रिकॉर्ड की बात है कि बड़ी संख्या में नियुक्त लोगों ने अपनी पिछली नौकरियां छोड़ दी हैं। चेब्रोलु लीला प्रसाद राव (उपरोक्त) के मामले में भी, 2020 में हाल ही में नियुक्त किए गए व्यक्तियों को

8.1 . यह कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. राजीव धवन द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो इस शब्द का उपयोग करते हैं। " केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 (1) और 16 (2) में यह सुझाव दिया गया है कि जाति सहित किसी भी निषिद्ध वर्गीकरण को नहीं लिया जा सकता है।

वर्गीकरण के आधार के रूप में जब तक कि कोई व्यापक संवैधानिक या सार्वजनिक उद्देश्य न हो और वर्गीकरण का उस उद्देश्य के साथ संबंध न हो। में प्रतिबंधों पर कैलाश चंद्र शर्मा (ऊपर) (पैरा 14) के मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा रखा गया है।

अनुच्छेद 16 (2)। कि उक्त निर्णय में यह देखा गया है कि अनुच्छेद 16 (2) के तहत निषेधात्मक जनादेश आकर्षित नहीं होता है यदि कथित भेदभाव न केवल निवास से संबंधित है, बल्कि निवास के तथ्य से संबंधित है। केवल अन्य प्रासंगिक कारकों के अलावा ध्यान में रखा जाता है।

8.2 . (1968) 2 एस. सी. आर. सत्यजीत कुमार एंड ओ. आर. एस. में रिपोर्ट किए गए पी. राजेंद्रन बनाम मद्रास राज्य के मामले में भी इस अदालत के फैसले पर रिलायंस को रखा गया है।

वी. झारखंड और ओआरएस का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

786. यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय में कहा गया है कि यदि विचाराधीन आरक्षण केवल जाति पर आधारित था और विचाराधीन जाति के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को ध्यान में नहीं रखा गया था, तो यह अनुच्छेद 15 (1) का उल्लंघन होगा, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि एक जाति नागरिकों के एक वर्ग को भी संदर्भित कर सकती है और यदि पूरी जाति सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई है, तो ऐसी जाति के पक्ष में इस आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है कि ऐसी जाति अनुच्छेद 15 (4) के अर्थ के भीतर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग है।

मैसूर राज्य ने (1971) 2 एस. सी. सी. 22 में रिपोर्ट किया और के मामले में जयश्री बनाम केरल राज्य ने (1976) 3 एस. सी. सी. 730 में अपने निवेदन के समर्थन में बताया कि अनुसूची क्षेत्रों से संबंधित स्थानीय निवासियों के उत्थान के लिए, राज्यपाल पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करके संसद और/या राज्य द्वारा बनाए गए किसी भी अधिनियम पर रोक लगा सकते हैं और इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (2) और 16 (3) के तहत व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित करने वाला नहीं कहा जा सकता है।

9.0 . कुछ मूल याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विकास सिंह ने समर्थन में आगे निवेदन किया है। पहले से नियुक्त उम्मीदवारों की सेवाओं की रक्षा के लिए राहत को ढालने के लिए प्रार्थना की गई क्योंकि उन्होंने चयन की एक निष्पक्ष प्रक्रिया में भाग लिया जिसमें कोई कदाचार शामिल नहीं था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आज भी अनुसूचित जिलों में 4000 से अधिक पद उपलब्ध हैं -

खाली पड़ा है। उनकी उपरोक्त प्रार्थना के समर्थन में, यह आग्रह किया जाता है कि इस न्यायालय ने, चेब्रोलु लीला प्रसाद राव (उपरोक्त) के मामले में, नियुक्तियाँ पहले ही की जा चुकी हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि कम से कम 50 प्रतिशत सीटें केवल अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित थीं जिन्हें इस न्यायालय ने रद्द कर दिया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में भी उक्त टिप्पणियों को लागू करते हुए यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्य में की गई नियुक्तियों की रक्षा कर सकता है क्योंकि अब तक कुल विज्ञापित रिक्तियों में से लगभग 50 प्रतिशत नियुक्तियां की जा चुकी हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि पहले से की गई नियुक्तियों को उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित सामान्य निर्णय और आदेश के अनुसार अलग कर दिया जाता है, तो उस मामले में स्कूल जाने वाले लाखों बच्चे शिक्षकों के बिना होंगे जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत प्रदान किए गए शिक्षा के अधिकार के संवैधानिक जनादेश के विपरीत होगा।

2] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

9.1 . यह प्रस्तुत किया जाता है कि 219 प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादियों/शिक्षकों के मुकाबले हजारों निर्दोष याचिकाकर्ताओं/शिक्षकों को बेरोजगार कर दिया जाएगा हस्तक्षेप करने वाले। कि सर्वोपरि लोकहित माँग करता है कि

पहले से की गई नियुक्तियों को बाधित नहीं किया जाता है और विवादित निर्णय केवल संभावित रूप से लागू करने के लिए किया जाता है।

9.2 . यह प्रस्तुत किया जाता है कि मूल याचिकाकर्ताओं ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया, जिसमें आरक्षण के बारे में पूरी तरह से जानकारी थी।

9.3 . यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि यह सच नहीं है कि कम मेधावी उम्मीदवारों को नियुक्ति और मेधावी के अधिकार दिए गए थे उम्मीदवारों को बाधित किया गया है। कि वास्तव में, सभी अधिकांश विषयों में अधिकांश अपीलार्थी बहुत अधिक मेधावी थे

गैर-अनुसूचित जिलों के अंतिम चयनित/गैर-चयनित/कम मेधावी उम्मीदवारों की तुलना में।

उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, राहत को ढालने और द्वारा पारित विवादित सामान्य निर्णय और आदेश को लागू करने का निर्देश देने के लिए प्रार्थना की जाती है।

उच्च न्यायालय संभावित रूप से और/या कम से कम पहले से की गई नियुक्तियों को बचाने के लिए।

10.0 . राहत को ढालने और पहले से की गई नियुक्तियों को बचाने और विवादित निर्णय और पारित आदेश को लागू करने का निर्देश देने के लिए इसी तरह की प्रार्थना

उच्च न्यायालय द्वारा संभावित रूप से श्री पी. एस. पटवालिया द्वारा किया गया है, जो पहले से नियुक्त कुछ अपीलार्थियों/शिक्षकों की ओर से पेश होने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हैं।

वैकल्पिक रूप से, यह प्रार्थना की जाती है कि केवल उन रिट याचिकाकर्ताओं यानी लगभग 219 उम्मीदवारों को एक विकल्प प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए -

जिन जिलों में वे नियुक्त होना चाहते हैं, जो रिक्त पदों के विरुद्ध उनकी योग्यता के संदर्भ में और शेष रिक्त पदों के संबंध में किया जाएगा, राज्य 2016 के चयन में पहले ही भाग ले चुके उम्मीदवार को आयु में छूट के साथ कानून के अनुसार एक नया विज्ञापन जारी कर सकता है। उनके उपरोक्त निवेदन के समर्थन में, हनुमान दत्त शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया जाता है। (2018) 16 एस. सी. सी. 447 में सूचित किया गया।

सत्यजीत कुमार और ओआरएस। वी. झारखंड और ओआरएस का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

10.1 . विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पटवालिया ने भी दोहराया है कि अन्य वकील की ओर से योग्यता के आधार पर क्या प्रस्तुत किया गया है -

उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित सामान्य निर्णय और आदेश और अनुसूचित क्षेत्रों/जिलों के स्थानीय निवासियों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षण प्रदान करने वाली राज्यपाल/राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना/आदेशों की संवैधानिक वैधता पर आरोप लगाना।

11.0 . सुश्री विभा दत्ता मखीजा, कुछ अपीलार्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता-उम्मीदवार जो पहले से ही नियुक्त हैं।

पहले से ही नियुक्त उम्मीदवारों के पक्ष में राहत को ढालने के लिए अपनी प्रार्थना के समर्थन में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं।

कि नियुक्तियाँ निर्णय से पहले की गई थीं

आई.

चेब्रोलु लीला प्रसाद राव (ऊपर) के मामले में यह न्यायालय। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति के समय झारखंड राज्य में कानून स्पष्ट नहीं था और

प्रवाह की स्थिति में था;

यहां तक कि इस अदालत ने भी चेब्रोलू के मामले में अंतिम आदेश दिया है।

II.

लीला प्रसाद राव (ऊपर) ने नियुक्तियों को बचा लिया है।

कि सभी नियुक्त उम्मीदवार-याचिकाकर्ताओं को नियुक्त किया जाता है

III.

चयन की एक निष्पक्ष प्रक्रिया द्वारा और वे सभी मेधावी हैं

उम्मीदवार;

स्कूल शिक्षकों के बिना होंगे यदि

IV.

और पहले से नियुक्त अन्य शिक्षकों को हटा दिया जाता है, उस स्थिति में, स्कूल शिक्षकों के बिना होंगे और इसलिए, यह राज्य में शिक्षा को प्रभावित/बाधित कर सकता है। झारखंड।

11.1 . विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री मखीजा ने भी चेब्रोलु लीला प्रसाद राव के मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया है। (ऊपर), कैलाश चंद शर्मा बनाम राजस्थान राज्य ने (2002) 6

एस. सी. सी. 562, के. माधव रेड्डी बनाम ए. पी. राज्य ने (2014) 6 एस. सी. सी. 537, आर. के. सभरवाल बनाम पंजाब राज्य ने (1995) 2 एस. सी. सी. 745 और बाबूराम बनाम सी. सी. जैकब ने (1999) 3 [2022] 12 एस. सी. आर. में रिपोर्ट किया।

एस. सी. सी. 362, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को केवल संभावित रूप से लागू करने का निर्देश देने के उनके अनुरोध के समर्थन में।

12. उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित फैसले और आदेश की आलोचना करते हुए श्री कपिल सिब्बल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री सुनील

झारखंड राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार ने जोरदार ढंग से कहा कि वर्तमान मामले में और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना/आदेश घोषित करने में गंभीर त्रुटि की है

/ राज्य सरकार और अनुसूचित क्षेत्र/जिलों के स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला विज्ञापन असंवैधानिक और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,16 और 35 के अधिकार से बाहर है।

12.1 . राज्य की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि मूल याचिकाकर्ताओं के इस तर्क में एक बुनियादी भ्रांति है कि

अधिसूचना जिले को वर्गीकरण का आधार बनाती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह का वर्गीकरण संविधान द्वारा ही किया जाता है और इसका आधार "अनुसूचित क्षेत्र" है जैसा कि भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के अनुच्छेद 244 आर/डब्ल्यू के तहत विचार किया गया है। कि अनुसूचित क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें भारत संघ का गठन करने वाले विभिन्न राज्यों के भीतर ज्यादातर आदिवासी आबादी शामिल है, जिसे भारत का संविधान अपने शासन के मामले में विशेष मानता है। कि राष्ट्रपति, एक आदेश द्वारा, भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची के पैरा 6 के तहत ऐसे किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। पैरा के उप-पैरा 2 के तहत

5 पाँचवीं अनुसूची के अनुसार, राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकता है कि किसी अनुसूचित क्षेत्र का पूरा या कोई निर्दिष्ट भाग अनुसूचित क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र का हिस्सा नहीं रहेगा, या किसी अनुसूचित क्षेत्र का क्षेत्रफल भी बढ़ा देगा। राज्य में। इस प्रकार राष्ट्रपति एक पूरे जिले को अनुसूचित क्षेत्र या जिले के एक हिस्से को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है या यहां तक कि दो जिलों के संयोजन को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि तत्काल मामले में जनसांख्यिकी पर विचार करने पर

झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों में, भारत के राष्ट्रपति ने 13 जिलों में शामिल क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए एक राय बनाई और अनुसूचित क्षेत्र (झारखंड राज्य) आदेश, 2007 बनाया। कि जैसे-जैसे समय बीतता जाए, राष्ट्रपति घोषणा कर सकते हैं कि 13 जिलों में से किसी का भी एक हिस्सा अनुसूचित क्षेत्र नहीं रह सकता है या दो जिलों के कुछ हिस्सों को मिलाकर घोषित अनुसूचित क्षेत्रों में से किसी का क्षेत्र भी बढ़ा सकता है। इसलिए विवादित अधिसूचना और आदेश जिले को वर्गीकरण का आधार बनाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अनुसूचित क्षेत्र (झारखंड राज्य) आदेश, 2007 को कोई चुनौती नहीं है।

इन मामलों में।

सत्यजीत कुमार और ओआरएस। वी. झारखंड और ओआरएस का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

12.2 . जहां तक मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क है कि अधिसूचना और आदेश का उद्देश्य अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए नियमों को संशोधित करना है, जो न तो संसद का अधिनियम है और न ही राज्य विधानमंडल का अधिनियम है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह की विवादित अधिसूचना में "इन नियमों या किसी अन्य अधिनियम, आदेश, निर्देश, नियमों या कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद" यह कहते हुए एक अपवाद बनाया गया है और इसलिए इसमें "बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009" जैसा संसद का एक अधिनियम शामिल होगा जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 21-ए के अनुसार अधिनियमित किया गया था और जो प्राथमिक विद्यालयों पर लागू होता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त 2009 अधिनियम की धारा 23 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं -

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पात्रता। अतः आक्षेपित अधिसूचना को संसद के किसी अधिनियम में एक अपवाद/संशोधन के रूप में पढ़ना होगा, अर्थात उक्त 2009 अधिनियम की धारा 23 और इसमें गलती नहीं की जा सकती है।

12.3 . यह प्रस्तुत किया जाता है कि विवादित अधिसूचना और उससे जुड़े नियम जिन्हें अपवाद/संशोधित किया जा रहा है, दोनों को "राज्यपाल के आदेश" द्वारा बनाया गया है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 (2) के तहत निर्धारित तरीके से प्रमाणित किया गया है। कि विवादित अधिसूचना जारी करने की शक्ति के स्रोत का पता अनुसूची V के पैरा 5 (1) के साथ-साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान से लगाया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि 'संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के साथ पढ़ने' का उल्लेख करने की चूक 'के अभ्यास में' विवादित अधिसूचना में पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 के उप-पैरा (1) के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए नियमों में संशोधन को प्रभावित/अमान्य नहीं करेंगी। वह भारत संघ और ए. एन. आर. के मामले में। बनाम तुलसीराम पटेल ने (1985) 3 एस. सी. सी. 398 (पैरा 126) में बताया कि यह देखा गया है कि शक्ति का स्रोत दो प्रावधानों को एक साथ पढ़ने से मौजूद है, चाहे वे वैधानिक हों या संवैधानिक और आदेश में उल्लेख किया गया है -

12.4 अब जहां तक मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत करने की बात है कि क्या विवादित अधिसूचना/आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन करते हैं, यह जोरदार है। प्रस्तुत किया कि विवादित अधिसूचना और आदेश निवास के आधार पर "केवल" नहीं हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में सामाजिक संकेतक [2022] 12 एस. सी. आर. के अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम हैं।

12.5 . अब जहां तक मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से यह निवेदन है कि विवादित अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है। भारत के संविधान का संबंध है, यह राज्य की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि अनुच्छेद 14 के उल्लंघन पर आधारित ऐसा तर्क गलत है। यह तर्क दिया जाता है कि जहां अनुच्छेद 14 इस बात की गारंटी देता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, वहीं पांचवीं अनुसूची का पैरा 5 (1) एक अबाधित खंड से शुरू होता है जो राज्यपाल को निर्देश देने का अधिकार देता है।

कि कोई केंद्रीय विधि या राज्य विधि किसी अनुसूचित क्षेत्र या उसके भाग पर लागू नहीं होगी या ऐसे अपवादों या संशोधनों के साथ लागू हो सकती है जो वह निर्देशित करे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि मूल याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत किया जाता है कि आक्षेपित अधिसूचना/आदेश अनुच्छेद का उल्लंघन है 14 यह स्वीकार किया जाता है, उस मामले में, यह दो संवैधानिक प्रावधानों के बीच एक स्पष्ट संघर्ष का कारण बनेगा, अर्थात। पाँचवीं अनुसूची का अनुच्छेद 14 और पैरा 5 (1)। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस संघर्ष को केवल सामंजस्यपूर्ण निर्माण के अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत का पालन करके हल किया जा सकता है जो विशेष कानून सत्यजीत कुमार और ओआरएस है।

वी. झारखंड और ओआरएस का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

जनरल पर हावी हो जाएगा। जे के स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम के मामले में रिलायंस को इस अदालत के फैसले पर रखा गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य ने ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 1170 (पैरा 9) में रिपोर्ट किया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अनुसूचित क्षेत्रों और उनमें रहने वाले आदिवासियों के शासन और विकास के लिए उक्त प्रावधान कभी भी अनुच्छेद 16 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के सामान्य प्रावधानों के अधीन नहीं होगा।

12.6 . वैकल्पिक रूप से, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना की जाती है कि वे पहले से ही नियुक्तियों में बाधा न डालें

पूर्व में किए गए और विवादित सामान्य निर्णय और आदेश को लागू करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा संभावित रूप से पारित किया गया ताकि यह अनुसूचित क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों की शिक्षा को प्रभावित न कर सके। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को लागू किया जाता है और पहले से की गई नियुक्तियों को भी उच्च न्यायालय द्वारा देखे गए और आयोजित किए गए अनुसार अलग कर दिया जाता है, तो उस मामले में शिक्षकों को राहत देनी होगी और अनुसूचित क्षेत्रों में कई स्कूल शिक्षकों के बिना होंगे और यह अंततः राज्य में शिक्षा में बाधा डाल सकता है और जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 ए के तहत गारंटीकृत अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासियों को उपलब्ध होंगे।

13. श्री रंजीत कुमार और श्री गोपाल शंकरनारायणन, उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने वर्तमान अपीलों का जोरदार विरोध किया है। चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाताओं की ओर से-मूल याचिकाकर्ता-गैर-अनुसूचित क्षेत्रों/जिलों से संबंधित उम्मीदवार।

13.1 . श्री रंजीत कुमार, सिविल अपील No.4044 में उपस्थित मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता

सोनी कुमारी की ओर से वर्ष 2022 के मूल रिट याचिकाकर्ताओं (उच्च न्यायालय के समक्ष 2017 के डब्ल्यू. पी. No.1387) ने राज्य सरकार की अधिसूचना No.5938 और दिनांक 14.07.2016 के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें झारखंड के तेरह अनुसूचित जिलों में (कुल 24 जिलों में से) केवल तेरह अनुसूचित जिलों के स्थानीय निवासियों को 10 साल की अवधि के लिए तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र बनाया गया था, साथ ही 4.12.2017 और खंड V (iii) पर संशोधित 28.12.2016 का विज्ञापन, जिसमें केवल अधिसूचित/अनुसूचित जिलों के स्थानीय निवासियों/अधिवास को ही उक्त जिलों के लिए निर्धारित रिक्तियों के खिलाफ आवेदन जमा करने का हकदार बनाया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आक्षेपित अधिसूचना के कारण /

आदेश और विज्ञापन उन्हें आवेदन [2022] 12 एस. सी. आर. जमा करने के लिए विवश किया गया था।

कि उसने अनुसूचित में अपनी श्रेणी और विषय में अंतिम चयनित उम्मीदवार द्वारा प्राप्त कट ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त किए थे जिले और फिर भी उनका चयन नहीं किया गया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में विवादित अधिसूचना/आदेश और प्रगति की चुनौती की सराहना की जानी चाहिए।

13.2 . यह विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

कि तत्काल मामले में विचार के लिए उत्पन्न होने वाले मुद्दे हैं:

क्या अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की शक्ति का प्रयोग

आई.

5 पाँचवीं अनुसूची की एक "पूर्ण शक्ति" या एक "सक्षम करने वाली शक्ति" है।

शक्ति "जो मूल विशेषता की कसौटी पर खरा उतरती है /

मूलभूत सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों की गारंटी संविधान के भाग III के तहत?

क्या राज्यपाल के पास यह निर्धारित करने की शक्ति है

II.

पैराग्राफ 5 (1) के तहत निवास के आधार पर पात्रता (अनुसूची जिलों में अधिवास के लिए 100% आरक्षण निर्दिष्ट करना)

पाँचवीं अनुसूची का? क्या जी. ओ. संख्या 5938 और 5939 दिनांकित 14.07.2016 जिसके द्वारा

III.

झारखंड के 13 अनुसूचित जिलों में, केवल स्थानीय

उक्त जिलों के निवासियों को पात्र घोषित किया गया था

10 की अवधि के लिए बीमार और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति

वर्ष अनुच्छेद 14,16 (2) और (3) और 35 (ए-आई) के अधिकार से बाहर हैं।

संविधान?

13.3 . मूल की ओर से प्रस्तुतियों के समर्थन में

याचिकाकर्ता-गैर-अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित उम्मीदवार कि विवादित अधिसूचना/आदेश और अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासियों को केवल अनुसूचित क्षेत्र में पद के लिए आवेदन करने के लिए प्रतिबंधित करने वाला विज्ञापन भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के विपरीत है और यह भारत के संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत गैर-अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित उम्मीदवारों को प्रभावित करता है, निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की जाती हैं:

अनुच्छेद 244 (1) के तहत राज्यपाल के पास शक्ति निहित है।

आई.

संविधान की पाँचवीं अनुसूची के साथ पढ़ा जाना एक नहीं है

पूर्ण शक्ति लेकिन उसमें निर्दिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक सक्षम शक्ति है अर्थात, "अनुसूचित का प्रशासन। क्षेत्रों "। पाँचवीं अनुसूची का पैराग्राफ 5 (1) सत्यजीत कुमार और ओआरएस का एक पहलू है।

वी. झारखंड और ओआरएस का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

इस सक्षम करने की शक्ति राज्यपाल के पास निहित है। इस अनुच्छेद के संदर्भ में, वह यह निर्धारित कर सकता है कि कौन सी संसद या

कानून;

पाँचवें के पैरा 5 (1) के तहत राज्यपाल की शक्ति

II.

अनुसूची का विस्तार अधीनस्थ विधान तक नहीं है; यह राज्य की संसद या विधानमंडल द्वारा संप्रभु कार्य में अधिनियमित एक अधिनियम के संबंध में है जो केवल

निपटाया गया;

पाँचवीं अनुसूची के पैराग्राफ 5 में गैर-अड़चन खंड

III.

इसे संशोधन शक्ति की सीमाओं से बाहर के प्रावधान को हटाने के रूप में नहीं लिया जा सकता है और इसे संविधान के मूलभूत सिद्धांतों और बुनियादी विशेषताओं के अनुरूप सामंजस्यपूर्ण रूप से समझा जाना चाहिए।

पाँचवीं अनुसूची के पैरा 5 (1) के तहत राज्यपाल की शक्ति

IV.

संविधान कुछ प्रतिबंधों के अधीन है, जिनका कानून बनाते समय संसद या राज्य के विधानमंडल द्वारा पालन किया जाना चाहिए और संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा।

उपरोक्त प्रस्तुतियों के समर्थन में, चेब्रोलु लीला प्रसाद राव (उपरोक्त) (पारस 102-104,154 (1) (सी)) के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भारी निर्भरता रखी गई है।

13.4 . विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि स्थानीय निवास अपने आप में किसी भी समझौते का आधार नहीं हो सकता है।

राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण के लिए तरजीही व्यवहार क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 16 (1) और (2) द्वारा विशेष रूप से वर्जित है। 1994 सप्लीमेंट (3) एस. सी. सी. 245 पैरा 6 और 8 में रिपोर्ट किए गए उड़ीसा राज्य और अन्य बनाम सुधीर कुमार विश्वाल और अन्य के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखा गया है।

13.5 . यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि राज्यपाल के पास राज्य के भीतर निवास के रूप में किसी भी आवश्यकता को निर्धारित करने के लिए विषय क्षेत्राधिकार का अभाव है।

संविधान के अनुच्छेद 16 (3) आर/डब्ल्यू के आलोक में अनुच्छेद 35 (ए-आई) जो यह अधिदेश देता है कि रोजगार के लिए आवासीय योग्यता पैदा करने की शक्ति विशेष रूप से संसद को प्रदान की जाती है न कि राज्य विधानमंडल को, जो आवश्यक परिणाम से, राज्य कार्यपालिका (राज्यपाल) को बाहर कर देगा।

जिसकी शक्ति राज्य विधानमंडल के साथ सह-समाप्त होती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अकेले संसद को निर्धारित करने वाला कानून बनाने का अधिकार है

13.6 . यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी तेरह में 100% आरक्षण लागू करने के लिए विवादित आदेश/अधिसूचना की मांग की गई है। झारखंड राज्य का अनुसूचित जिला, जिसमें उक्त जिलों के केवल स्थानीय निवासियों को 10 वर्ष की अवधि के लिए तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र घोषित किया गया था, इंद्र साहनी (ऊपर) (पैरा 788) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के साथ-साथ चेब्रोलु लीला प्रसाद राव (ऊपर) (पैरा 104) के मामले में इस न्यायालय की संवैधानिक पीठ के हालिया फैसले के विपरीत है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आरक्षण की बाहरी सीमा का खंड (4) में विचार किया गया है।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 आम तौर पर 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।

13.7 . अब जहाँ तक राज्य द्वारा अधिवास के आधार पर आरक्षण या वरीयता निर्धारित करने वाली "मिट्टी के पुत्र" नीति को लागू करने के औचित्य की बात है (1984) 3 एस. सी. सी. 654 (पैरा 5) में रिपोर्ट किए गए डॉ. प्रदीप जैन बनाम यू. ओ. आई. के मामले में इस न्यायालय द्वारा पहले से ही निराकृत निवास या निवास, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त निर्णय में यह देखा गया है और अभिनिर्धारित किया गया है कि केवल संसद को निवास के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध के अपवाद को लागू करने का अधिकार दिया गया है। विवादित सरकारी अधिसूचना संख्या 5938 और 5939 दिनांकित (आई. डी. 1) संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती हैं क्योंकि यह किसी भी बोधगम्य अंतर पर आधारित नहीं है और इसका उस उद्देश्य और उद्देश्य के साथ कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है जिसे प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया गया है, यानी सबसे अधिक का चयन।

राज्य सरकार द्वारा संचालित माध्यमिक और उच्च विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और राज्य के भीतर निवासियों के शैक्षिक स्तर में सुधार करने के लिए सक्षम शिक्षक। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पूर्वी सिंहभूम जैसे अनुसूचित जिलों के रूप में अधिसूचित कई जिले

(जमशेदपुर) और रांची मानव विकास सत्यजीत कुमार एंड ओआरएस के शीर्ष आधे हिस्से में हैं।

वी. झारखंड और ओआरएस का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

झारखंड में सूचकांक (एच. डी. आई.) जबकि याचिकाकर्ता के जिले पलामू में राज्य में सबसे कम एच. डी. आई. है, फिर भी इसे एक गैर-अनुसूचित जिले के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो अनुसूचित और गैर-अनुसूचित जिलों के निर्धारण में राज्य द्वारा अपनाई गई मनमानी को दर्शाता है। 13.8 . यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि यहां तक कि राज्य सरकार और उसकी ओर से उपस्थित कुछ विद्वान वकीलों द्वारा उठाया गया तर्क भी।

अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित उम्मीदवारों का कहना है कि विवादित अधिसूचना/आदेश इस आधार पर तैयार किया गया था कि जो उम्मीदवार संबंधित जिले में बोली जाने वाली स्थानीय आदिवासी भाषा जानते हैं, वे छात्रों को पढ़ाने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे, यह बिल्कुल गलत है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि चेब्रोलु लीला प्रसाद राव (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा उक्त तर्क को अनुमोदित और/या स्वीकार नहीं किया गया है। अन्यथा भी माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न विषयों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के चयन के लिए टी. जी. टी. भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार स्थानीय जनजातीय भाषा विषय को छोड़कर, अन्य सभी विषय (अर्थात। अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन) जो प्रकृति में सामान्य हैं, उन्हें सबसे मेधावी शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए ताकि छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके, जबकि एक घटिया शिक्षक जिसका योगदान शिक्षा में नगण्य है।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि हिंदी झारखंड की आधिकारिक भाषा है और विभिन्न क्षेत्रों के बीच बातचीत का सामान्य माध्यम भी है। राज्य में 21 से अधिक भाषाएँ बोली जाती हैं। इसलिए, यह कोई कारण नहीं है कि जो व्यक्ति सभी 21 क्षेत्रीय क्षेत्रों को नहीं जानते हैं

राज्य में बोली जाने वाली भाषाएँ उन क्षेत्रों में छात्रों को शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ होंगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदी (देवनागरी लिपि) में अच्छी तरह से पारंगत है, वह बिना किसी बाधा के राज्य के सभी जिलों में छात्रों को प्रभावी ढंग से शिक्षा प्रदान करने में सक्षम है।

13.9 . विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक बार विवादित अधिसूचना/आदेश को माना जाता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,16 और 35 के असंवैधानिक और अधिकार से परे, उस मामले में, मूल रिट याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए की गई कोई भी नियुक्ति और ऐसे असंवैधानिक प्रावधानों के अनुसार की गई नियुक्ति, उन्हें रद्द करना होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, उच्च न्यायालय ने मूल रिट याचिकाकर्ता की नियुक्ति को रद्द करने में कोई त्रुटि नहीं की है। उनकी उपरोक्त प्रस्तुति के समर्थन में, निम्नलिखित हाल के निर्णयों पर भरोसा किया जाता हैः

2] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आई. अनुपल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ने (2020) 2 एस. सी. सी. में रिपोर्ट किया

173 .

II.

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। बनाम आनंद कुमार यादव और अन्य।

(2018) 13 एस. सी. सी. 560 में रिपोर्ट किया गया।

रेणु बनाम जिला और सत्र न्यायाधीश (2014)

III.

15 एससीसी 731।

मध्य प्रदेश राज्य बनाम धरम बीर ने (1998) 6 एस. सी. सी. में रिपोर्ट किया

IV.

165 .

सैयद खालिद रिज़वी और अन्य। बनाम भारत संघ और

वी.

ओआरएस। 1993 में रिपोर्ट किया गया। (3) एससीसी 575।

सूरजप्रकाश गुप्ता और अन्य। बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य और

VI.

ओआरएस। (2000) 7 एस. सी. सी. 561 में सूचित किया गया।

VII. आर एस गर्ग बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। (2006) 6 में रिपोर्ट किया गया

एससीसी 430।

VIII. सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य। बनाम उमादेवी (3) और अन्य। (2006) 4 एस. सी. सी. 1 में सूचित किया गया।

13.10 यह आगे संबंधित मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

- गैर-अनुसूचित जिलों से संबंधित उम्मीदवारों ने प्रत्येक टी. जी. टी. विषय में अंतिम चयनित उम्मीदवार द्वारा प्राप्त पहले से प्रकाशित कट ऑफ के आधार पर एक संशोधित योग्यता सूची तैयार करने का निर्देश देकर भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत राहत को ढालने का भी अनुरोध किया है।

संबंधित श्रेणियों के विरुद्ध। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसका अर्थ यह होगा कि

एक ओर विज्ञापित पदों के लिए कोई नई या नई भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की जाती है, जबकि दूसरी ओर मूल रिट याचिका सहित वर्तमान पूल के उम्मीदवार-सोनी कुमार और

218 समान रूप से स्थित उम्मीदवारों के साथ-साथ वर्तमान में चयनित उम्मीदवारों को भी टी. जी. टी. शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए विचार करने का अवसर मिलेगा। (2013) 4 एस. सी. सी. 690 में रिपोर्ट किए गए राजेश कुमार बनाम बिहार राज्य और (2018) 2 एस. सी. सी. 357 में रिपोर्ट किए गए रण विजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में उनके अनुरोध और प्रार्थना के समर्थन में इस अदालत के फैसले पर भरोसा रखा गया है।

14. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल शंकरनारायणन ने भी विवादित सामान्य निर्णय और आदेश के समर्थन में विस्तृत प्रस्तुतियाँ दी हैं।

सत्यजीत कुमार और ओआरएस। वी. झारखंड और ओआरएस का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

15. झारखंड राज्य में उप-राज्यपाल द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 13 जिलों को अनुसूचित जिले/क्षेत्र घोषित किया गया था।

के संविधान की पाँचवीं अनुसूची के अनुच्छेद 6 का अनुच्छेद (2)

भारत का संविधान। उस परिपत्र दिनांक 18.04.2016 के माध्यम से और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार, राज्य सरकार ने "झारखंड के स्थानीय निवासी" की निर्धारित परिभाषा। उक्त परिपत्र के अनुसार, झारखंड के स्थानीय निवासी को भारतीय माना जाएगा

नागरिक जो निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक शर्त को पूरा कर रहे हैं:

" ((i)। वह झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमाओं के भीतर रह रहा होगा और या तो उसका अपना नाम या उसके पूर्वजों का नाम दर्ज किया गया होगा।

सर्वेक्षण खाता। भूमिहीनों के मामलों में, उनकी पहचान संबंधित ग्राम सभा द्वारा की जाएगी जो इस पर आधारित होगी -

झारखंड राज्य में प्रचलित भाषा, संस्कृति और परंपराएँ।

((ii) किसी भी व्यापार, रोजगार और अन्य कारणों से पिछले 30 वर्षों या उससे अधिक समय से झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमाओं के भीतर रह रहा होगा और

अर्जित अचल संपत्ति या ऐसे व्यक्ति की पत्नी/पति/बच्चा है और वह झारखंड राज्य में रहने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

((iii) कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त किया गया होगा।

झारखंड राज्य सरकार के अधीन/राज्य सरकार, निगम आदि द्वारा संचालित/मान्यता प्राप्त संस्थान। या पत्नी/पति/बच्चे हैं और रहने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं

झारखंड राज्य में।

((iv) भारत सरकार का अधिकारी/कर्मचारी, जो झारखंड राज्य में कार्यरत है या जिसकी 188 पत्नियाँ/पति/बच्चे हैं और

झारखंड राज्य में रहने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करें।
(v) झारखंड राज्य में किसी भी संवैधानिक या वैधानिक पद पर नियुक्त व्यक्ति या जिसकी पत्नी/पति/बच्चा है और

झारखंड राज्य में रहने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करें।

(vi) ऐसा व्यक्ति जो राज्य में पैदा हुआ होगा

झारखंड और अपनी पूरी शिक्षा पूरी की

मान्यता प्राप्त [2022] 12 एस. सी. आर. से मैट्रिक या इसके समकक्ष स्तर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

झारखंड राज्य में स्थापित संस्थान

झारखंड राज्य में रहने की प्रतिबद्धता। "

16. कि इसके बाद, झारखंड के राज्यपाल/राज्य सरकार ने भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्य बातों के साथ-साथ 14.07.2016 दिनांकित आदेश/अधिसूचना जारी की है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी मामले में कुछ भी निहित होने के बावजूद नियुक्ति/भर्ती नियम या कोई अन्य अधिनियम, आदेश, निर्देश, नियम या कानून जो अभी लागू है, केवल राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों/जिलों के स्थानीय निवासी ही जिला संवर्ग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों में होने वाली रिक्तियों पर भर्ती के लिए पात्र होंगे।

संबंधित जिलों के विभिन्न विभाग, उक्त अधिसूचना जारी होने की तारीख से 10 साल की अवधि के लिए। आदेश और अधिसूचना, जिनकी वैधता पर सवाल उठाए गए हैं, यहाँ नीचे निकाले गए हैं:

" झारखंड सरकार

विभाग. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा

आदेश दें

रांची, दिनांक 14.07.2016

सं. 5939/जबकि, पैराग्राफ के उप-पैराग्राफ (1) के तहत 5 भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची का राज्यपाल, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकता है कि संसद या राज्य के विधानमंडल का कोई विशेष अधिनियम राज्य में किसी अनुसूची क्षेत्र या उसके किसी भाग पर ऐसे अपवादों और संशोधनों के अधीन रहते हुए लागू नहीं होगा जैसा कि इसमें निर्दिष्ट किया गया है।

अधिसूचना।

और जबकि, राज्य में अनुसूचित क्षेत्र कम मानव विकास सूचकांकों, पिछड़ेपन, डब्ल्यू. पी. की विशेषता है। (ग) 2017 की सं. 1387 और समान मामले दूरस्थ गरीबी और जबकि अनुसूचित क्षेत्रों के सामाजिक संकेतक औसतन सामाजिक संकेतकों के औसत से कम हैं।

असमान स्थलाकृति, जल संसाधनों की कमी, वन के चंदवा क्षेत्र में कमी और अनियंत्रित तेजी के कारण राज्य औद्योगीकरण;

और जबकि, ऊपर पहचाने गए कारकों को पहचानते हुए, झारखंड की जनजातीय सलाहकार परिषद ने विभिन्न नियुक्ति नियमों, यजीत कुमार और ओआरएस में निहित पात्रता शर्तों को निलंबित करने के लिए राज्यपाल द्वारा एक अधिसूचना जारी करने की सिफारिश की है।

वी. झारखंड और ओआरएस का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

13 जिलों में 10 साल की अवधि के लिए जिला स्तर पर कक्षा 3 और कक्षा 4 के पदों की नियुक्ति के लिए

साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, लातेहार, रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदग्गा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम

सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों द्वारा शत-प्रतिशत जिला स्तर के वर्ग-3 और वर्ग-4 पदों की नियुक्ति के लिए;

और जबकि, अनुसूचित क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों के पक्ष में रोजगार के अतिरिक्त अवसर प्रदान करके अनुसूचित क्षेत्रों में लोगों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए झारखंड के राज्यपाल;

निम्नलिखित अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

" झारखंड सरकार

विभाग. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा

अधिसूचना

रांची, दिनांक 14.07.2016

No.14/स्थायी नीति-14-01/2015/5938 भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैराग्राफ 5 के उप-पैराग्राफ (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखंड के राज्यपाल, एतद्वारा निर्देश देते हैं कि संलग्न सूची के अनुसार विभिन्न नियुक्ति नियमों में उल्लिखित "नियुक्ति की पात्रता" के बारे में प्रावधान, सरकार

नियुक्ति के लिए संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है - जिला संवर्ग के पदों को इसके बाद निर्दिष्ट सीमा तक संशोधित और लागू माना जाएगा, अर्थात्:

" इन नियमों या किसी अन्य अधिनियम, आदेश, निर्देश, नियमों या कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद

लागू होने पर, केवल जिलों के स्थानीय निवासी अर्थात्

साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, लातेहार, रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदग्गा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और डब्ल्यू. पी. (ग) 2017 की सं. 1387 और समान मामले सरायकेला-खरसावां, [2022] 12 एस. सी. आर. के विभिन्न विभागों में जिला संवर्ग के वर्ग-3 और वर्ग-4 पदों में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों पर भर्ती के लिए पात्र होंगे।

संबंधित जिले, तारीख से 10 साल की अवधि के लिए इस अधिसूचना को जारी करने के बारे में "।

के नाम पर आदेश द्वारा

झारखंड के राज्यपाल

एस.

डी./- निधि खरे

के प्रधान सचिव

सरकार

16.1 . इस प्रकार, उपरोक्त आक्षेपित आदेश/अधिसूचना द्वारा

झारखंड के राज्यपाल ने निर्देश दिया है कि संबंधित प्रावधान

विभिन्न नियुक्तियों में उल्लिखित नियुक्ति की पात्रता

जिला संवर्ग के पदों पर नियुक्ति के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को इस हद तक संशोधित और लागू माना जाएगा कि 13 अनुसूचित जिलों के विभिन्न विभागों में शत-प्रतिशत वर्ग-3 और वर्ग-4 के पद राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित होंगे।

केवल संबंधित जिले। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि उक्त अधिसूचना द्वारा केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए सेवा नियमों को संशोधित किया गया और यहां तक कि अधिसूचना से जुड़ी सूची में संसद या राज्य विधानमंडल का कोई अधिनियम शामिल नहीं है। विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय, के संवैधानिक पीठ के निर्णय का पालन और उस पर भरोसा करता है

चेब्रोलु लीला प्रसाद राव (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय ने उपरोक्त आदेश/अधिसूचना दिनांक 14.07.2016 को घोषित किया है

असंवैधानिक और परिणामस्वरूप 28 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या 21/2016 के अनुसार की गई प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है, जैसा कि केवल उन जिलों के स्थानीय निवासियों से संबंधित अनुसूचित जिलों में विज्ञापन दिनांक 4.2.2017 द्वारा संशोधित किया गया है। इसके बाद, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि झारखंड राज्य के अनुसूचित जिलों में सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के सभी 8423 पदों का नए सिरे से विज्ञापन किया जाएगा और एक नई चयन प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

कानून के अनुसार। उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश और उपरोक्त निर्देश वर्तमान का विषय हैं।

अपीलें करें।

17. संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को सुनकर

और उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित सामान्य निर्णय और आदेश पर विचार करते हुए, इस न्यायालय के विचार के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वे इस प्रकार हैं:

यजीत कुमार और ओआरएस। वी. झारखंड और ओआरएस का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

चाहे पैराग्राफ के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में हो

आई.

5 (1) भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची,

क्या राज्यपाल 100% आरक्षण का प्रावधान कर सकते हैं भारत के संविधान के भाग III के विपरीत, अधिक

विशेष रूप से, अनुच्छेद 16 (1) और (2) के तहत गारंटी? क्या अनुच्छेद 5 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है

II.

भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची राज्यपाल

संबंधित भर्ती नियमों को संशोधित करने की शक्ति है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाया गया?

III.

कौन सा आदेश?

17.1 . उपरोक्त प्रश्नों/मुद्दों पर विचार करते समय प्रासंगिक

शीर्षक संबंधी प्रावधान जिनका सीधा असर होगा, आवश्यक हैं।

जिनका उल्लेख किया गया है, वे इस प्रकार हैं: -

" अनुच्छेद 13. के साथ या अपमान में असंगत कानून

मौलिक अधिकार-(1) के क्षेत्र में लागू सभी कानून

इसकी शुरुआत से ठीक पहले भारत

संविधान, जहाँ तक वे असंगत हैं

इस भाग के प्रावधान, ऐसी विसंगति की सीमा तक,

शून्य हो जाओ।

(2) राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो छीन ले या

इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों और बनाए गए किसी भी कानून का हनन करता है।

इस खंड के उल्लंघन में, की सीमा तक उल्लंघन, शून्य हो।

(3) इस लेख में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो,

(क) "कानून" में कोई भी अध्यादेश, आदेश, उप-कानून, नियम,

विनियमन, अधिसूचना, प्रथा या उपयोग

भारत का क्षेत्र कानून का बल;

(ख) "प्रवृत्त कानून" में किसी द्वारा पारित या बनाए गए कानून शामिल हैं।

के क्षेत्र में विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी इस संविधान के प्रारंभ से पहले भारत और नहीं

पूर्व में निरसित, इसके बावजूद कि ऐसी कोई विधि या

हो सकता है कि इसका कोई भी हिस्सा तब बिल्कुल भी चालू न हो या

विशेष क्षेत्रों में।

(4) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी संशोधन पर लागू नहीं होगी -

यह संविधान अनुच्छेद 368 के तहत बनाया गया है।

XXX

XXX

अनुच्छेद 16. सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता-(1) राज्य के तहत किसी भी पद पर रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी।

(2) कोई भी नागरिक केवल धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर नहीं होगा।

लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या उनमें से कोई भी, राज्य के तहत किसी भी रोजगार या पद के लिए अयोग्य या उसके संबंध में भेदभावपूर्ण होगा।

किसी वर्ग या रोजगार के वर्गों के संबंध में या किसी कार्यालय में नियुक्ति के संबंध में कोई कानून बनाना किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार या उसके भीतर का कोई स्थानीय या अन्य प्राधिकरण, ऐसी नियुक्ति से पहले उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर निवास करने की कोई आवश्यकता या

नियुक्ति।

(4) इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिक के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगी, जो राज्य की राय में, राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं है।

(4क) इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में राज्य के तहत सेवाओं में आरक्षण 3 [किसी भी वर्ग के लिए, परिणामी वरिष्ठता के साथ, पदोन्नति के मामलों में] या पदों के वर्गों के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगी, जो राज्य की राय में, राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

(4ख) इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को एक वर्ष की किसी भी रिक्त रिक्तियों पर विचार करने से नहीं रोकेगी जो हैं - उस वर्ष के अनुसार भरे जाने के लिए आरक्षित

खंड (4) या खंड (4ए) के तहत किसी भी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में रिक्तियों के एक अलग वर्ग के रूप में आरक्षण के लिए किया गया कोई प्रावधान और रिक्तियों का ऐसा वर्ग

पचास प्रतिशत की सीमा निर्धारित करने के लिए उस वर्ष की रिक्तियों के साथ विचार नहीं किया जाएगा जिसमें उन्हें भरा जा रहा है। उस वर्ष रिक्तियों की कुल संख्या पर आरक्षण।

यजीत कुमार और ओआरएस। वी. झारखंड और ओआरएस का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

(5) इस अनुच्छेद में कुछ भी किसी भी कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा जो यह प्रावधान करता है कि किसी पद का पदधारी किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशेष धर्म को मानने वाला या किसी विशेष संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति होगा।

XXX

XXX

XXX

अनुच्छेद 46। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना-राज्य लोगों के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष ध्यान के साथ बढ़ावा देगा।

अनुसूचित जनजातियाँ, और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेंगी।

XXX

XXX

XXX

अनुच्छेद 244। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन-(1) पांचवीं अनुसूची के प्रावधान 2 [असम 3 [, 4 [मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम] राज्यों के अलावा किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण पर लागू होंगे।

(2) छठी अनुसूची के प्रावधान 2 [असम 3 [, 5 [मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम] राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन पर लागू होंगे।

XXX

XXX

XXX

अनुच्छेद 246। विषय-संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों का विषय-(1) खंड (2) और (3) में कुछ भी होने के बावजूद, संसद को सातवीं अनुसूची (इस संविधान में "संघ सूची" के रूप में संदर्भित) में सूची I में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की अनन्य शक्ति है।

(2) खंड (3) में किसी बात के होते हुए भी, संसद और, खंड (1) के अधीन रहते हुए, किसी भी राज्य के विधानमंडल को भी, सातवीं अनुसूची (इस संविधान में "समवर्ती सूची" के रूप में संदर्भित) में सूची III में प्रगणित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है।

(3) खंड (1) और (2) के अधीन रहते हुए, किसी भी राज्य का विधानमंडल

1 *** ऐसे राज्य या किसी अन्य राज्य के लिए कानून बनाने की अनन्य शक्ति है।

सातवीं अनुसूची (इस संविधान में निर्दिष्ट) में सूची II में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में इसका भाग

"राज्य सूची" के रूप में)।

(4) संसद के पास किसी भी मामले में कानून बनाने की शक्ति है। भारत के क्षेत्र के किसी भी भाग के लिए मामला जिसमें 2 शामिल नहीं है

एक राज्य] इसके बावजूद कि ऐसा मामला एक मामला है

राज्य सूची में सूचीबद्ध।

XXX

XXX

XXX

अनुच्छेद 254। संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच विसंगति-(1) यदि कोई हो।

किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून का प्रावधान संसद द्वारा बनाए गए कानून के किसी भी प्रावधान के प्रतिकूल है जो

संसद अधिनियमित करने या किसी प्रावधान के लिए सक्षम है

समवर्ती सूची में उल्लिखित मामलों में से किसी एक के संबंध में विद्यमान विधि, फिर, खंड (2) के प्रावधानों के अधीन, संसद द्वारा बनाई गई विधि, चाहे वह पहले पारित हो या

ऐसे राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि के पश्चात्, या

(2) जहाँ किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि के साथ समवर्ती में उल्लिखित मामलों में से एक के संबंध में

बताइए: बशर्ते कि इस खंड में कुछ भी संसद को बाधित नहीं करेगा

किसी भी समय एक ही मामले के संबंध में किसी भी कानून को अधिनियमित करने से, जिसमें राज्य के विधानमंडल द्वारा इस तरह बनाए गए कानून को जोड़ने, संशोधन करने, बदलने या निरस्त करने वाली कानून भी शामिल है।

XXX

XXX

XXX यजीत कुमार और ओआरएस। वी. झारखंड और ओआरएस का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

309. संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें-इस संविधान के प्रावधानों के अधीन, उपयुक्त विधानमंडल के अधिनियम व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित कर सकते हैं। के संबंध में लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्त

संघ या किसी राज्य के कार्यः

बशर्ते कि यह राष्ट्रपति या ऐसे व्यक्ति के लिए सक्षम होगा जिसे वह संघ के मामलों के संबंध में सेवाओं और पदों के मामले में निर्देश दे। किसी राज्य का राज्यपाल या ऐसा व्यक्ति जिसे वह राज्य के मामलों के संबंध में सेवाओं और पदों के मामले में निर्देश दे, ऐसी सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले नियम बनाए जब तक कि इस अनुच्छेद के तहत उपयुक्त विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा या उसके तहत उस ओर से प्रावधान नहीं किया जाता है, और इस तरह बनाए गए कोई भी नियम ऐसे किसी अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे।

संविधान की पाँचवीं अनुसूची का पैरा 5

एक अनुसूचित क्षेत्र होना। विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, ऐसे विनियम मई

(क) ऐसे क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनके बीच भूमि हस्तांतरण को प्रतिबंधित या प्रतिबंधित करना;

(ख) ऐसे क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को भूमि के आवंटन को विनियमित करना; [2022] 12 एस. सी. आर.

(ग) अनुसूचित जाति के सदस्यों को धन उधार देने वाले व्यक्तियों द्वारा साहूकार के रूप में व्यवसाय के संचालन को विनियमित करना।

ऐसे क्षेत्र में जनजातियाँ।

(3) ऐसा कोई विनियमन बनाने में, जैसा कि उपखंड में निर्दिष्ट है।

इस पैराग्राफ के पैराग्राफ (2) में राज्यपाल * * *

संसद या राज्य के विधानमंडल के किसी अधिनियम या किसी मौजूदा कानून को निरस्त या संशोधित करना जो उस क्षेत्र में अभी लागू होता है।

(4) इस अनुच्छेद के तहत बनाए गए सभी विनियम होंगे -

राष्ट्रपति को तुरंत प्रस्तुत किया जाता है और जब तक राष्ट्रपति द्वारा सहमति नहीं दी जाती है

उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(5) इस अनुच्छेद के तहत कोई विनियम तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक कि विनियम बनाने वाले राज्यपाल ने, उस मामले में जहां राज्य के लिए एक जनजाति सलाहकार परिषद है, ऐसी परिषद से परामर्श नहीं किया है।

17.2 . अनुच्छेद 246 (1) के अनुसार, खंड (2) और (3) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, संसद को कानून बनाने की अनन्य शक्ति होगी।

सातवीं सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में

अनुसूची (संघ सूची)। अनुच्छेद 246 (2) के अनुसार, खंड (3) में कुछ भी होने के बावजूद, संसद और खंड (1) के अधीन रहते हुए, किसी भी राज्य के विधानमंडल को सातवीं अनुसूची (समवर्ती सूची) में सूची III में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति होगी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 के अनुसार, यदि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून का कोई प्रावधान संसद द्वारा बनाए गए कानून के किसी भी प्रावधान के प्रतिकूल है, जिसे संसद अधिनियमित करने के लिए सक्षम है, या

समवर्ती सूची में प्रगणित मामलों में से किसी एक के संबंध में किसी विद्यमान विधि का कोई उपबंध, तब, खंड (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद द्वारा बनाई गई विधि, चाहे वह ऐसे राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि से पहले या बाद में पारित की गई हो, या, यथास्थिति, विद्यमान विधि प्रबल होगी और राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि, प्रतिकूलता की सीमा तक, शून्य होगी। इस प्रकार, उपरोक्त संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, संसद द्वारा बनाया गया कानून सर्वोच्च है और प्रबल होगा और प्रत्येक राज्य/राज्य विधानमंडल संसद द्वारा बनाए गए कानून से बाध्य है। हालाँकि, भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची का अनुच्छेद 5 एक अपवाद है। उपरोक्त प्रावधानों के बावजूद, संसद द्वारा बनाए गए कानून को सर्वोच्चता देते हुए, राज्यपाल यह निर्देश दे सकता है कि संसद का कोई विशेष अधिनियम या

राज्य का विधानमंडल किसी अनुसूचित क्षेत्र या किसी भाग सत्यजीत कुमार और ओ. आर. एस. पर लागू नहीं होगा।

वी. झारखंड और ओआरएस का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

राज्य में या किसी अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग पर लागू होगा।

राज्य में ऐसे अपवादों और संशोधनों के अधीन रहते हुए जो वह कर सकता है

अधिसूचना में निर्दिष्ट करें। इस प्रकार, "इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद" अभिव्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून की सर्वोच्चता के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों से संबंधित है। भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैराग्राफ 5 (1) के संबंध में अपीलार्थियों की ओर से की गई दलीलों पर विचार करते समय इस पहलू पर नीचे चर्चा की जाएगी।

17.3 . इसलिए, संक्षिप्त प्रश्न जो इसके लिए प्रस्तुत किया जाता है

इस न्यायालय का विचार यह है कि क्या संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैराग्राफ 5 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्रों/जिलों में आरक्षण के लिए प्रावधान कर सकते हैं जो भाग 3 के तहत गारंटीकृत नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित कर सकते हैं, विशेष रूप से, भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (2) के तहत? क्या इस तरह का आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 से प्रभावित नहीं होगा?

18. चेब्रोलु लीला प्रसाद राव (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा इसी तरह के प्रश्न पर विचार किया गया।

इस न्यायालय के समक्ष आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल ने अनुसूची 5 के पैराग्राफ 5 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जी. ओ. जारी किया।

अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों के पदों का निर्देश देने वाला भारत का संविधान किसी अन्य आदेश या नियम या कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद केवल अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होगा। कई प्रश्नों को संविधान पीठ को भेजा गया था। निम्नलिखित प्रश्नों को अंततः संवैधानिक पीठ द्वारा विचार के लिए तैयार किया गया थाः

(1) अनुच्छेद 5 (1), अनुसूची V का दायरा क्या है

भारत का संविधान?

(क) क्या यह प्रावधान राज्यपाल को ऐसा करने का अधिकार देता है

नया कानून?

(ख)

क्या शक्ति अधीनस्थ विधान तक फैली हुई है?

((ग)

क्या उसमें प्रदत्त शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है?

भाग के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करें

III?

क्या इस तरह की शक्ति का प्रयोग किसी भी समानांतर पर हावी है?

((घ)

अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा शक्ति का प्रयोग

371 डी?

क्या 100% आरक्षण के तहत अनुमति है

(2)

संविधान?

क्या अधिसूचना केवल एक पर विचार करती है

(3)

अनुच्छेद 16 (1) के तहत वर्गीकरण और इसके तहत आरक्षण नहीं

अनुच्छेद 16 (4)?

क्या पात्रता की शर्तें (अर्थात, मूल और कट-ऑफ)

(4)

तिथि) अधिसूचना में आरक्षण का लाभ उठाना उचित है?

18.1 . प्रश्न संख्या 1 (ए), (बी), (सी) और प्रश्न संख्या। 3 ऊपर उल्लिखित हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं।

18.2 . प्रासंगिक संविधान पर विचार करने के बाद

प्रावधान अर्थात। अनुच्छेद 244, पाँचवीं अनुसूची, जहाँ तक प्रश्न संख्या 1 (ए) है। क्या प्रावधान राज्यपाल को एक नया कानून बनाने के लिए सशक्त बनाता है, संविधान पीठ द्वारा यह देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि नया कानून बनाने की राज्यपाल की शक्ति पैरा 5 (1) की स्पष्ट भाषा को देखते हुए उपलब्ध नहीं है, पांचवीं अनुसूची ऐसी शक्ति को मान्यता या प्रदान नहीं करती है, लेकिन केवल शक्ति कानून को लागू करने या अपवादों या संशोधनों के साथ इसे लागू करने की नहीं है। (पैरा 51)

18.3 . सवाल का जवाब नहीं। 1 (ख) अर्थात। क्या शक्ति अधीनस्थ विधान तक फैली हुई है, यह देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि इसके तहत बनाए गए नियम

संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक को संसद या राज्य विधानमंडल का अधिनियम नहीं कहा जा सकता है। यह देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि संविधान की अनुसूची V के पैरा 5 (1) के तहत राज्यपाल की शक्ति संसद या राज्य के विधानमंडल के अधिनियमों को संशोधित करने या लागू नहीं करने तक सीमित है। इस प्रकार, अनुसूची 5 के पैरा 5 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमों में संशोधन नहीं किया जा सकता था। आगे यह भी कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए नियमों को राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित नहीं कहा जा सकता है। (पैरा 52 से

57)। 18.4 . प्रश्न 1 (ग) का उत्तर देते समय। क्या पाँचवीं अनुसूची के पैरा 5 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग ओवरराइड हो सकता है?

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में इस न्यायालय के निर्णयों पर विचार करने के बाद भाग III के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार। (1973) 4 एस. सी. सी. 225 में रिपोर्ट किया गया; वामन राव बनाम भारत संघ ने (1981) 2 एस. सी. सी. 362 में रिपोर्ट किया; आई. आर. एलआरएस द्वारा कोएल्हो (मृत)। बनाम। (2007) 2 एस. सी. सी. 1 में सूचित टी. एन. राज्य; एस आर चौधरी बनाम।

सत्यजीत कुमार और ओआरएस। वी. झारखंड और ओआरएस का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

(1979) 3 एस. सी. सी. 489 में रिपोर्ट की गई; नीलिमा मिश्रा बनाम हरिंदर कौर पेंटल ने (1990) 2 एस. सी. सी. 746 और पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम भारतीय रिजर्व बैंक में रिपोर्ट की।

(1992) 2 एस. सी. सी. 343, यह अंत में देखा और माना जाता है कि शक्ति

राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्रों से निपटने के लिए प्रदत्त किया जाना संविधान पर हावी होने के लिए नहीं है। राज्यपाल की शक्ति संसद और राज्य की विधायी शक्ति के साथ समान है। विधायी शक्ति का प्रयोग संसद या राज्य द्वारा संविधान के भाग III के प्रावधानों के अधीन किया जा सकता है। इसके बाद, अंततः यह माना जाता है कि राज्यपाल की शक्ति संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का स्थान नहीं लेती है। इसका प्रयोग संविधान के भाग III और अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए किया जाना चाहिए। यह आगे देखा गया है और माना गया है कि जब पांचवीं अनुसूची का पैरा 5 राज्यपाल को शक्ति प्रदान करता है, तो इसका उद्देश्य मनमाने ढंग से शक्ति प्रदान करना नहीं है। संविधान का उद्देश्य कभी भी संवैधानिक अधिकारियों को कोई मनमानी शक्ति प्रदान करना नहीं हो सकता है। इनका प्रयोग संविधान के उद्देश्यों और प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कानूनी और तर्कसंगत तरीके से किया जाना है। शक्तियाँ अवमूल्यन में नहीं हैं, बल्कि

संवैधानिक उद्देश्यों और उद्देश्यों को आगे बढ़ाना। (पैरा 78)। जबकि इस प्रकार अभिनिर्धारित करते हुए, संवैधानिक पीठ ने संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 (1) में उपयोग किए गए गैर-अस्थाई खंड के प्रभाव पर भी विचार किया। अनापत्ति खंड के प्रभाव पर विचार करते समय, यह पैरा 69,70,74 और 75 में निम्नानुसार देखा गया है:

" 69. संविधान की पाँचवीं अनुसूची के पैरा 5 (1) की शुरुआत एक गैर-अस्थाई खंड से होती है। अन्य प्रावधानों पर लागू होने की तुलना में गैर-अवरोधक खंड का क्या प्रभाव पड़ता है?

संविधान? क्या पैरा 5 (1) के प्रावधान सभी पर प्रबल हैं संविधान के अन्य प्रावधान? क्या संविधान के भाग III में मौलिक अधिकार लागू नहीं होते हैं और इसकी आवश्यकता नहीं है

संतुष्ट हो?

70. पाँचवीं अनुसूची का प्रावधान शब्दों से शुरू होता है

" इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद "नहीं हो सकता है [2022] 12 एस. सी. आर. पर सीमाओं के बाहर प्रावधान को हटाने के रूप में समझा गया।

संशोधन करने की शक्ति और इसे मूलभूत सिद्धांतों और बुनियादी विशेषताओं के अनुरूप सामंजस्यपूर्ण रूप से समझा जाना चाहिए। संविधान से।

XXXXXXXXXXX

74. संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 (1) में निहित गैर-अस्थाई खंड का अर्थ है कि राज्यपाल इसका प्रयोग कर सकता है।

अनुच्छेद 245 में निहित प्रावधानों के बावजूद शक्ति

संविधान, संसद को कानून बनाने और राज्य के विधानमंडल को शक्ति प्रदान करता है। संसद के पास कानून बनाने की शक्ति है। इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता कि

अतिरिक्त क्षेत्रीय संचालन करें।

75. श्रीमती में गैर-बाध्यकारी खंड पर भी विचार किया गया है। परायणकंडियाल एरावथ कनप्रवन कल्लियानी अम्मा और अन्य। वी. के. देवी और अन्य। , ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 1963 दायरा होना चाहिए जिस
संदर्भ और उद्देश्य के लिए इसे तराशा गया है, उस पर विचार किया गया है।

बाहर निकलो "।

18.5 . जैसा कि ऊपर देखा गया है, हमारी यह भी राय है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 और 245 के बावजूद संसद द्वारा बनाए गए कानून को निलंबित करने और/या संशोधित करने की राज्यपाल की शक्ति के संबंध में संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 (1) में निहित अबाधित खंड को पढ़ा जाएगा। इसे राज्यपाल को पूर्ण शक्ति और/या निरंकुश शक्ति प्रदान करने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है।

संविधान के भाग III में निहित प्रावधानों के बावजूद। 19. सवाल का जवाब देते हुए नहीं। 2 अर्थात्। क्या 100% आरक्षण संविधान के तहत अनुज्ञेय है, 100% आरक्षण पर इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों को संदर्भित करने और/या विचार करने के बाद और अनुच्छेद 14,15 और 16 और अन्य प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों पर विचार करने के बाद और इंद्र साहनी (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर विचार करने के बाद, यह अंततः देखा जाता है और अभिनिर्धारित किया जाता है कि आरक्षण

जो सुरक्षात्मक तरीके से अनुमत है, इसे 100 प्रतिशत बनाने से भेदभावपूर्ण और अस्वीकार्य हो जाएगा। यह आगे देखा गया है और माना गया है कि सार्वजनिक रोजगार के अवसर को सत्ताधारियों को अन्यायपूर्ण तरीके से वंचित नहीं किया जा सकता है, और यह कुछ लोगों का विशेषाधिकार नहीं है। नागरिकों को समान अधिकार हैं, और एक वर्ग के लिए अवसर पैदा करके दूसरों को पूरी तरह से बहिष्कृत करने पर देश के संस्थापकों द्वारा विचार नहीं किया गया है।

भारत का संविधान।

19.1 . इस प्रकार, चेब्रोलु लीला प्रसाद राव (उपरोक्त) के मामले में, प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों पर विस्तार से विचार करते हुएभारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 (1) में राज्यपाल को सम्मानित किया गया है, यह अंततः निम्नानुसार मनाया और अभिनिर्धारित किया जाता हैः

प्रश्न संख्या 1: राज्यपाल के अधीन शक्तियों के प्रयोग में संविधान की पाँचवीं अनुसूची, पैरा 5 (1), का प्रयोग कर सकता है -

संसद या किसी विशेष अधिनियम से संबंधित शक्तियाँ

राज्य का विधानमंडल। राज्यपाल यह निर्देश दे सकता है कि ऐसा कानून अनुसूचित क्षेत्रों या उसके किसी भी हिस्से पर लागू नहीं होगा। राज्यपाल को राज्य में अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भी हिस्से में ऐसे कानून को लागू करने का अधिकार है, जो ऐसे अपवादों और संशोधनों के अधीन है जो वह अधिसूचना में निर्दिष्ट कर सकते हैं और पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ एक अधिसूचना भी जारी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 (ए): राज्यपाल को संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 (1) के तहत यह निर्देश देने का अधिकार है कि

संसद या राज्य के विधानमंडल का अधिनियम, किसी अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होगा या अपवादों के साथ लागू नहीं होगा और

संशोधन। राज्यपाल इसके भीतर एक प्रावधान कर सकता है -

संसद के अधिनियम में संशोधन/संशोधन के मानदंड या राज्य विधानमंडल। नए कानून/विनियम बनाने की शक्ति, संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 (2) में उसमें उल्लिखित उद्देश्य के लिए प्रदान की गई है, न कि पांचवें के पैरा 5 (1) के तहत।

भारत के संविधान की अनुसूची।

प्रश्न संख्या 1 (बी): संविधान की पैरा 5 (1), पाँचवीं अनुसूची के तहत राज्यपाल की शक्ति अधीनस्थ विधान तक नहीं फैली हुई है, यह राज्य की संसद या विधानमंडल द्वारा संप्रभु कार्य में अधिनियमित एक अधिनियम के संबंध में है जो

निपटा लिया जाए। प्रश्न संख्या 1 (ग): संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 (1) के तहत राज्यपाल की शक्ति कुछ प्रतिबंधों के अधीन है, जिसका कानून बनाते समय संसद या राज्य के विधानमंडल द्वारा पालन किया जाना चाहिए और यह मौलिक नियमों को दरकिनार नहीं कर सकता है।

संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत अधिकार। प्रश्न संख्या 1 (घ): भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल [2022] 12 एस. सी. आर. नहीं कर सकते।

अनुच्छेद 371 डी के तहत शक्तियों के प्रयोग में राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना को ओवरराइड करें। शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है अनुच्छेद 371 डी के तहत जारी किए गए ऐसे आदेश के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से, नहीं

उसके संघर्ष में।

प्रश्न संख्या 2: G.O.Ms। सं. 3/2000 संविधान के तहत 100 प्रतिशत आरक्षण की अनुमति नहीं है, बाहरी सीमा 50 प्रतिशत है जैसा कि इंद्र साहनी (ऊपर) में निर्दिष्ट किया गया है। प्रश्न संख्या 3: विचाराधीन अधिसूचना को अनुच्छेद 16 (1) के तहत किए गए वर्गीकरण के रूप में नहीं माना जा सकता है। एक बार अनुच्छेद 16 (4) के तहत अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान किए जाने के बाद, अनुच्छेद 16 (1) के तहत ऐसी किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अधिसूचना यह है कि

यह अनुचित और मनमाना है "। 20. इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून को लागू करना

चेब्रोलु लीला प्रसाद राव (उपरोक्त) के मामले में, तथ्यों के अनुसार, विवादित आदेश/अधिसूचना No.5938 और 14.07.2016 दिनांकित आदेश 939 में संबंधित अनुसूचित जिलों/क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों के लिए 100% आरक्षण प्रदान किया गया है।

(1) पाँचवीं अनुसूची के पैरा 5 (1) के तहत राज्यपाल को प्रदत्त शक्तियों के दायरे और दायरे से परे

भारत का संविधान;

(2)

100 % स्थानीय निवासियों के लिए प्रदान किया गया आरक्षण

केवल संबंधित अनुसूचित जिले/क्षेत्र होंगे

भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (2) का उल्लंघन और भारत के संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत गैर-अनुसूचित क्षेत्रों/जिलों के अन्य उम्मीदवारों/नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित करना;

(3)

के पैरा 5 (1) के अधीन राज्यपाल द्वारा शक्तियों का प्रयोग भर्ती नियम, 2015 को संशोधित करने वाली भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाई गई है, जिसे अधीनस्थ विधान कहा जा सकता है और जिसे अधिनियम या सत्यजीत कुमार और ओआरएस नहीं कहा जा सकता है।

वी. झारखंड और ओआरएस का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

संसद और/या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची के पैरा 5 (1) के तहत राज्यपाल की शक्ति के दायरे और दायरे से बाहर है।

21. अपीलार्थियों की ओर से प्रस्तुत निवेदन में कहा गया है कि चेब्रोलु लीला प्रसाद राव के मामले में इस न्यायालय का निर्णय (उपर्युक्त) मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा क्योंकि उक्त मामले में अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 100% आरक्षण था जिसे अन्य आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के अधिकारों का भी उल्लंघन माना गया था और यह कि चेब्रोलु लीला प्रसाद राव (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, इसमें कोई सार नहीं है। इस न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात निर्णय और कानून पर विचार करने की आवश्यकता है। इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा स्पष्ट कानून निर्धारित किया गया है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। संविधान पीठ का निर्णय जो इस पर विचार करने के बाद दिया जाता है

प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधान और इस न्यायालय के कई निर्णय हमारे लिए बाध्यकारी हैं। यह नहीं कहा जा सकता है कि इस न्यायालय के प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और/या बाध्यकारी निर्णयों में

राव (उपरोक्त) को इस न्यायालय के किसी भी बाध्यकारी निर्णय की अनदेखी करने और/या इसके विपरीत दृष्टिकोण रखने वाला भी नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार और जैसा कि ऊपर देखा गया है, हम दोहराते हैं कि हम इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून, विशेष रूप से इस न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले से बाध्य हैं। हम चेब्रोलू के मामले में इस न्यायालय के बाध्यकारी संविधान पीठ के फैसले का पालन नहीं करने का कोई कारण नहीं देखते हैं।

लीला प्रसाद राव (ऊपर)। हम चेब्रोलु लीला प्रसाद राव (उपरोक्त) के मामले में इस अदालत की संविधान पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण रखने का कोई कारण नहीं देखते हैं। हम इस मामले को एक बड़ी पीठ को भेजने का कोई कारण नहीं देखते हैं, जैसा कि अपीलकर्ताओं-अनुसूचित क्षेत्रों/जिलों से संबंधित उम्मीदवारों की ओर से पेश कुछ वकीलों ने अनुरोध किया था।

22. उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान महाधिवक्ता द्वारा एक अन्य निवेदन यह था कि अनुसूचित जिलों में निम्न मानव विकास सूचकांकों, पिछड़ेपन, गरीबी आदि के कारकों को दूर करने और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के लिए, राज्य के राज्यपाल द्वारा अनुसूचित जिलों के निवासियों के हितों की रक्षा के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। अन्यथा, यह [2022] 12 एस. सी. आर. के लिए बहुत फायदेमंद होगा।

अनुसूचित जिलों में स्कूल जाने वाले बच्चे, यदि उन्हें उनके स्कूलों में पढ़ाया जाता है।

बाहरी लोगों की तुलना में स्थानीय शिक्षकों द्वारा अपनी आदिवासी भाषा, जो स्थानीय भाषा से अच्छी तरह से परिचित नहीं हो सकते हैं। शुरुआत में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इस तरह के प्रस्तुतिकरण को सेवा में भारी दबाव नहीं डाला गया था उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित होने वाले वकीलों में से कोई भी। हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि चेब्रोलु लीला प्रसाद राव (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने भी उसी निवेदन पर विचार किया और पैरा 130 और 131 में निम्नलिखित टिप्पणी करके इसे अस्वीकार कर दियाः

" 130. कोई भी कानून यह आदेश नहीं देता है कि केवल आदिवासी शिक्षक ही अनुसूचित क्षेत्रों में पढ़ा सकते हैं; इस प्रकार, कार्रवाई तर्क की अवहेलना करती है। एक अन्य कारण स्कूलों में शिक्षकों की अभूतपूर्व अनुपस्थिति है। यह क्षेत्रों में आदिवासी शिक्षकों को 100 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का आधार नहीं हो सकता था। ऐसा नहीं है कि अन्य श्रेणियों के पदाधिकारी नहीं हैं

क्षेत्रों में उपलब्ध है। जब एक जिला एक इकाई है रोजगार, आरक्षण प्रदान करने के लिए आवेदन किया गया आधार

असाधारण अनुपस्थिति अप्रासंगिक है और नहीं हो सकती है

यह 100 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का आधार बना। बेहतर सुविधाएं और अन्य प्रोत्साहन प्रदान करके अनुपस्थिति की समस्या का समाधान किया जा सकता था।

131. कारण दिया गया कि आरक्षण प्रोत्साहन को पूरा करने के लिए था

शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्रों में और

शैक्षणिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना भी उतना ही वंचित है पदार्थ की। दूसरों को अवसर से वंचित करके, यह नहीं कहा जा सकता है कि छात्रों के उद्देश्य और प्रभावी शिक्षा को कोई प्रोत्साहन दिया जा सकता था, और अब इसे मजबूत किया जा सकता था। 100 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान योग्यता की अनदेखी कर रहे हैं। इस प्रकार, यह शिक्षा के बुनियादी ढांचे और योग्यता और शिक्षा के मानक को कमजोर कर देगा

विद्यालयों में दिया जाता है। छात्रों का शैक्षिक विकास केवल शिक्षकों के एक विशेष वर्ग द्वारा नहीं किया जा सकता है। कुल
मिलाकर योग्यता की अनदेखी करते हुए आरक्षण प्रदान करके नियुक्त किया जाता है। आदर्श दृष्टिकोण यह होगा कि शिक्षकों का चयन आधार पर किया जाए

योग्यता के आधार पर "।

22.1 . अन्यथा भी, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह सच हो सकता है कि जहां तक बुनियादी शिक्षा (प्राथमिक वर्ग के स्तर पर) का संबंध है, वह सत्यजीत कुमार और ओआरएस है।

वी. झारखंड और ओआरएस का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

प्राथमिक स्तर पर (बुनियादी शिक्षा प्रदान करते हुए) छात्र को उनकी अपनी आदिवासी भाषा में पढ़ाए जाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन एक ही सिद्धांत नहीं हो सकता है जब उच्च स्तर पर शिक्षा प्रदान करने का प्रश्न हो तो यह लागू होगा। पाँचवीं कक्षा से ऊपर। इसलिए, यदि अन्य क्षेत्रों (गैर-अनुसूचित क्षेत्रों/जिलों) से संबंधित उम्मीदवारों को शिक्षा प्रदान करने का अवसर दिया जाता है।

शिक्षा (जो अनुसूचित क्षेत्रों/जिलों से संबंधित उम्मीदवारों की तुलना में अधिक मेधावी हो सकती है) अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित छात्रों के लिए अधिक फायदेमंद होगी और उनकी शिक्षा की गुणवत्ता में निश्चित रूप से सुधार होगा। उसी/कुछ जिलों के शिक्षकों के पक्ष में 100% आरक्षण देकर और अधिक मेधावी शिक्षकों की नियुक्ति को प्रतिबंधित करके स्कूल जाने वाले बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा सकता है।

23. इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि यहां तक कि विवादित आदेश/अधिसूचना दिनांक 14.07.2016 और प्रदान करने वाला विज्ञापन भी

100 % संबंधित अनुसूचित क्षेत्रों/जिलों के स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षण को भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 का भी उल्लंघन कहा जा सकता है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, संबंधित के स्थानीय निवासी के लिए 100% आरक्षण करने वाला विवादित आदेश/अधिसूचना

अनुसूचित जिले/क्षेत्र भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (2) का उल्लंघन करते हैं क्योंकि यह भारत के संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत गैर-अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित उम्मीदवार को गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार, राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीन या कम कर दे और अनुच्छेद 13 (2) के उल्लंघन में बनाया गया कोई भी कानून उल्लंघन की सीमा तक अमान्य होगा। इसलिए, संबंधित अनुसूचित क्षेत्रों/जिलों के स्थानीय निवासियों के लिए 100% आरक्षण करने वाली विवादित अधिसूचना/आदेश/विज्ञापन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा और अमान्य होगा।

24. भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (3) के तहत भी, यह अकेले संसद है, जो किसी भी कानून को निर्धारित करने के लिए अधिकृत है।

किसी वर्ग या रोजगार के वर्गों या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के तहत किसी कार्यालय में नियुक्ति या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के संबंध में, ऐसे रोजगार या नियुक्ति से पहले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर निवास करने की कोई आवश्यकता। भारत के संविधान के अनुच्छेद 35 के अनुसार, संविधान में कुछ भी निहित होने के बावजूद, संसद के पास होगा और किसी राज्य के विधानमंडल के पास किसी भी मामले [2022] के संबंध में कानून बनाने की शक्ति नहीं होगी।

जिसे अनुच्छेद 16 के खंड (3) के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानून के लिए प्रदान किया जा सकता है। इसलिए, संबंधित अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी के लिए 100% आरक्षण करने वाली विवादित अधिसूचना/आदेश / जिले (निवासी के आधार पर आरक्षण) भारत के संविधान के अनुच्छेद 35 आर/डब्ल्यू अनुच्छेद 16 (3) के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।

25. चेब्रोलु लीला प्रसाद राव (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करना और उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए

चर्चा और ऊपर बताए गए कारणों के लिए, उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने और यह अभिनिर्धारित करने में कोई त्रुटि नहीं की है कि संबंधित अनुसूचित जिलों/क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों के लिए 100% आरक्षण प्रदान करने वाली राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना No.5938 और आदेश No.5939 दिनांक 14.7.2016 असंवैधानिक और असंवैधानिक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,13 (2), 15 और 16 (2)। यह उचित रूप से देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि उक्त अधिसूचना और आदेश भी

भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (3) और 35 (ए-आई) का उल्लंघन करता है। उच्च न्यायालय ने भी ठीक ही कहा है और अभिनिर्धारित किया है कि उपरोक्त अधिसूचना और

आदेश भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैराग्राफ 5 (1) के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं।

26. अब, जहां तक अनुसूचित जिलों/क्षेत्रों से संबंधित संबंधित अपीलकर्ताओं की ओर से की गई प्रार्थना का संबंध है-उम्मीदवार जो पहले से ही नियुक्त किए गए थे और जिनकी नियुक्तियों को अवैध माना जाता है और उनकी याचिका कि उच्च न्यायालय के फैसले को संभावित रूप से लागू किया जा सकता है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। चेब्रोलु लीला प्रसाद राव (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर भरोसा रखा गया है, जिसके द्वारा इस न्यायालय ने भी पहले से की गई नियुक्तियों को बचा लिया है और कैलाश चंद शर्मा (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय का संबंध है, ऐसी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। एक बार जब अधिसूचना/आदेश दिनांक 14.07.2016 को अधिकार से बाहर माना जाता है, तो आवश्यक परिणामों के रूप में, ऐसी असंवैधानिक अधिसूचना/आदेश के अनुसार की गई नियुक्तियों को अलग करना होगा और ऐसी नियुक्तियों को नियमित नहीं किया जा सकता है। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा कर्नाटक राज्य के सचिव और अन्य के मामले में देखा और अभिनिर्धारित किया गया है। बनाम उमादेवी (ऊपर), वहाँ एक है

अवैध और अनियमित नियुक्ति के बीच अंतर और पूर्व को नियमित नहीं किया जा सकता है।

26.1 . अब, जहाँ तक चेब्रोलु लीला प्रसाद राव (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश पर निर्भरता है।

सत्यजीत कुमार और ओआरएस। वी. झारखंड और ओआरएस का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

(पैरा 167 से 169) का संबंध है, शुरुआत में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इस न्यायालय के समक्ष नियुक्तियां 1986 से की गई थीं और ऐसी नियुक्तियां कई वर्षों तक जारी रहीं और इसलिए, इस न्यायालय ने पहले से की गई नियुक्तियों को बचा लिया जो कई वर्षों तक जारी रहीं। पहले से की गई नियुक्तियों (जो इस तरह से अवैध पाई गई थीं) को बचाते हुए, इस न्यायालय ने विशेष रूप से कहा कि "विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, जिन अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, उन्हें दोषी नहीं कहा जा सकता है और वे अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं"। यहां तक कि नियुक्तियों की बचत भी सशर्त थी जैसा कि पैरा 168 में देखा गया है।

26.2 . अब, जहाँ तक कैलाश चंद शर्मा (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया है

पैरा 47 में भी उक्त निर्णय में, इस न्यायालय द्वारा विशेष रूप से यह अवलोकन किया गया है कि न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय में निहित शक्तियों के ढांचे के भीतर कार्य करके मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करके राहत को ढाला है। यह आगे देखा गया है कि निर्णय को भी भविष्य में उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले में एक बाध्यकारी मिसाल के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसलिए, एक बार जब इस न्यायालय ने विशेष रूप से कहा है कि उक्त निर्णय को भविष्य में उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले में एक बाध्यकारी पूर्ववर्ती के रूप में नहीं माना जा सकता है, तो उक्त निर्णय पर अपीलार्थियों की ओर से भरोसा नहीं किया जाना चाहिए था।

दिनांक 28.12.2016 जैसा कि 04.02.2017 पर संशोधित किया गया था और इसे वर्ष 2017 में ही भर्ती प्रक्रिया के लंबित रहने के दौरान चुनौती दी गई थी। यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने दिनांक 1 के आदेश द्वारा निर्देश दिया कि रिट की स्थापना के बारे में व्यापक प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्रों में नोटिस प्रकाशित किया जाए याचिका ताकि इच्छुक व्यक्ति रिट याचिका में हस्तक्षेप कर सके। इस तरह के नोटिस के अनुसार, कई अंतर्वर्ती आवेदन/मध्यस्थ आवेदन दायर किए गए, जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई। इसके बाद, मामलों में शामिल संवैधानिक महत्व के प्रश्न को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने दिनांक 1 के आदेश द्वारा मामले को एक बड़ी पीठ द्वारा तय करने के लिए भेजा। उसी आदेश दिनांक 18.09.2019 द्वारा, उच्च न्यायालय [2022] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विवादित अधिसूचना No.5938 और आदेश No.5939 दिनांक 14.7.2016 के आगे के कार्यान्वयन और संचालन पर रोक लगा दी गई, बशर्ते कि

पहले से की गई नियुक्तियाँ, यदि कोई हों। इस प्रकार, उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि मूल रिट याचिकाकर्ता हमेशा सतर्क और मेहनती होते हैं और पहले उपलब्ध अवसर पर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं। अनुसूचित जिलों/क्षेत्रों में नियुक्ति के लिए उनके मामलों पर विचार करने का उनका मूल्यवान अधिकार छीन लिया गया है। वे हो चुके हैं

उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को संभावित रूप से लागू करने के लिए इसमें अपीलकर्ताओं की याचिका खारिज किए जाने के योग्य है और तदनुसार खारिज कर दिया जाता है। 27. हालांकि, एक ही समय में और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और विशेष रूप से, रद्द करके और अलग करके

पहले से की गई नियुक्तियों में अधिक जटिलता की संभावना है जो व्यापक सार्वजनिक हित में नहीं होगी। इसलिए, हमारी राय है कि यह राहत को ढालने के लिए एक उपयुक्त मामला है। इस तथ्य के अलावा कि अपीलकर्ता-अनुसूचित जिलों/क्षेत्रों से संबंधित चयनित उम्मीदवार पिछले लगभग तीन वर्षों से पहले से ही काम कर रहे हैं, यदि पहले से की गई नियुक्तियां सुरक्षित नहीं हैं तो हजारों स्कूल

झारखंड राज्य में शिक्षकों के बिना होगा और अंतिम पीड़ित आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे होंगे। दोषियों को देखते हुए

उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जिलों/क्षेत्रों में की गई सभी नियुक्तियों को अवैध ठहराया है और आगे नई भर्ती के लिए जाने का निर्देश दिया है, राज्य को नई भर्ती प्रक्रिया से गुजरना होगा जिसमें काफी समय लग सकता है और इस बीच, रिक्तियां होंगी और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षकों के बिना स्कूलों की संख्या होगी। इसलिए, न्यायालय को मूल रिट याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ पहले से नियुक्त व्यक्तियों/शिक्षकों (जिनकी नियुक्तियों को अवैध माना जाता है) और जनहित के अधिकारों के बीच संतुलन बनाना होगा। इसलिए, हमारी राय है कि राहत देते समय, एक नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के बजाय, संशोधित योग्यता के आधार पर और प्रत्येक टी. जी. टी. विषय में अंतिम चयनित उम्मीदवार द्वारा प्राप्त पहले से प्रकाशित कट ऑफ के आधार पर नई चयन सूची तैयार करने के लिए निर्देश जारी किए जाते हैं।

, सत्यजीत कुमार और ओआरएस। वी. झारखंड और ओआरएस का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय और आदेश में दिए गए निर्देश के अनुसार नई/नई भर्ती प्रक्रिया के लिए जाने का कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। 28. उपरोक्त चर्चा और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित सामान्य विवादित निर्णय और आदेश को बरकरार रखते हैं, जिसमें विवादित अधिसूचना/आदेश को दिनांकित घोषित किया गया है।

14.07.2016 भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,16 (2), 16 (3) और 35 (ए-आई) को असंवैधानिक और अधिकार से परे माना गया है। हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं। चुनौती देने वाली वर्तमान अपीलें

उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित सामान्य निर्णय और आदेश को एतद्वारा उपरोक्त सीमा तक खारिज कर दिया जाता है।

हालाँकि, उसी समय, सभी को दरकिनार करते हुए विवादित निर्णय और आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देश

और 2016 का विज्ञापन No.21 दिनांक 28.12.2016 जैसा कि संशोधित किया गया है 04.12.2017 और इसके लिए नई/नई भर्ती प्रक्रिया के लिए जाना

अनुसूचित क्षेत्रों/जिलों को इसके द्वारा संशोधित किया जाता है। अब यह निर्देश दिया जाता है कि अनुसूचित जिलों/क्षेत्रों में पहले से की गई नियुक्तियों को अलग करके नई/नई भर्ती प्रक्रिया के बजाय, राज्य

प्रत्येक टी. जी. टी. विषय में अंतिम चयनित उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त पहले से प्रकाशित कट ऑफ के आधार पर संबंधित के खिलाफ योग्यता सूची को संशोधित करेगा।

वर्तमान निर्देश मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और विशेष रूप से इस तथ्य पर विचार करते हुए जारी किए जाते हैं कि राज्य में शिक्षकों के पहले से ही रिक्त पद (अनुसूचित और गैर-अनुसूचित दोनों क्षेत्रों में) हैं। हमारा विचार है कि यदि पहले से की गई नियुक्तियों को अलग कर दिया जाता है और ऐसे पदों के लिए नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाती है, तो अनुसूचित में कई स्कूल ऐसे क्षेत्र जिनमें कोई शिक्षक नहीं होगा, जो अंततः अनुसूचित क्षेत्रों में संबंधित बच्चों के व्यापक लोक हित और शिक्षा को प्रभावित कर सकते हैं।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वर्तमान निर्देश अनुसूचित जनजातियों/जिलों के व्यापक जनहित में भारत के संविधान के अनुच्छेद एफ के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जाता है।

वर्तमान अपीलों को उपरोक्त सीमा तक आंशिक रूप से अनुमति दी गई है।

उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित सामान्य निर्णय और आदेश

जैसा कि मैंने ऊपर देखा है।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कोई आदेश नहीं होगा।

लागतें।

अपीलों की आंशिक रूप

से अनुमति है।

पांडे

महेंद्र यादव, एलसीआरए द्वारा संपादित)